मालवीय मिशन शिक्षक
प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी)

दिशा-निर्देश

शिक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	परिचय	3
2.	योजना की पृष्ठभूमि	3
3.	योजना के उद्देश्य	3
4.	योजना का प्रस्तावित परिणाम	4
5.	एमएमटीटीसी की संरचना	4
6.	मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्षेत्र	6
7.	एमएमटीटीसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रम (वार्षिक)	7
8.	आवासीय पाठ्यक्रम/कार्यक्रम	24
9.	संकाय सदस्यों के लिए प्रोत्साहन	28
10.	योजना की निगरानी	28
11.	वित्तीय सहायता	29
12.	गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के विषय-वस्तु और विषय	31
13.	दिशानिर्देशों में परिवर्तन/संशोधन	32

1 भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 उच्च शिक्षा में अभिप्रेरित, ऊर्जावान और सक्षम संकाय की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सभी स्तरों पर शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण एक प्रमुख प्राथमिकता है। मौजूदा तंत्र, नामत: यूजीसी-मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी) और पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण केंद्र (पीएमएमएमएनएमटीटी) ने संकाय प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, शिक्षण और अध्ययन की गतिशील प्रकृति को देखते हुए निरंतर पेशेवर विकास आवश्यक है। इसलिए, मौजूदा तंत्र को पुनर्गठित करके मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) को फिर से शुरु किया गया है ताकि शिक्षकों/संकाय को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। मिशन का उद्देश्य भारतीय मूल्यों को शिक्षण, शोध, प्रकाशन, पेटेंट और संस्थागत विकास में एकीकृत करके उच्च शिक्षा में बदलाव लाना है।

भारत की उच्च शिक्षा निम्नलिखित के लिए तैयार है:

- परिवर्तनकारी और नवप्रवर्तनशील दृष्टिकोण अपनाना।
- 50 प्रतिशत का संवर्धित सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) हासिल करना।
- जीईआर में राज्यवार, लिंग आधारित और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना।
- वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रतिभा प्रदाता के रूप में उभरना, जिसमें दुनिया भर में प्रत्येक चार में से एक स्नातक भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली का उत्पाद होगा।
- शोध परिणाम के आधार पर विश्व स्तर पर शीर्ष पांच देशों में स्थान प्राप्त करना।

2. योजना की पृष्ठभूमि:

शिक्षा मंत्रालय (एमओई) एनईपी 2020 उद्देश्यों के अनुरूप एचआरडीसी और पीएमएमएनएमटीटी केंद्रों के बीच तालमेल और एकीकरण को मजबूत करना चाहता है। इस योजना के अंतर्गत 111 मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (एमएमटीटीसी) स्थापित करने हैं। योजना का लक्ष्य एनईपी की सिफारिशों को लागू करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, समानता, ऑनलाइन शिक्षा, प्रौद्योगिकी का उपयोग, भारतीय भाषाओं का संवर्धन, व्यावसायिक शिक्षा और बहु-विषयक शिक्षा पर पर ध्यान केंद्रित करना है।

दृष्टि :

संकाय को भारतीय मूल्यों के साथ जोड़कर बेहतर शिक्षण, अधिगम, शोध और अकादमिक नेतृत्व के लिए संकाय की दक्षताओं को बढ़ाना, और समाज तथा एनईपी 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार उनके ज्ञान और कौशल का अद्यतन करना।

3. योजना के उद्देश्य:

एनईपी 2020 के अनुरूप योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- पूर्ण मानवीय क्षमता प्राप्त करना, एक समतापूर्ण और निष्पक्ष समाज का विकास करना और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना।
- हमारे शिक्षकों, छात्रों और शिक्षण-अधिगम में गुणवत्ता और उत्कृष्टता का समावेश करके सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।
- भारतीय संस्कृति में निहित नैतिकता और मानवीय मूल्यों के समावेश के साथ शिक्षकों और शिक्षार्थियों

का समग्र विकास सुनिश्चित करना और उन्हें भारतीय ज्ञान प्रणाली (भारतीय ज्ञान परंपरा) से परिचित कराना।

- प्रकृति में मौजूद पर्यावरण-संतुलन और जैव विविधता के प्रति जागृति पैदा करना और जीवन के लिए उनकी स्थिरता को सुनिश्चित करना।
- संस्थान और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में संकाय की भूमिका सुनिश्चित करना।
- निरंतर व्यावसायिक विकास के माध्यम से संकाय सदस्यों को आजीवन शिक्षार्थियों के रूप में सशक्त बनाना।

4. योजना का प्रस्तावित परिणाम:

- भारतीय-केंद्रित नैतिकता और मानवीय मूल्यों के आदर्शों को अधिग्रहित कराकर तथा समग्र शिक्षा प्रदान करके, सभी संकाय सदस्यों को एनईपी 2020 पर जागरुक और उन्मुख किया जाएगा ताकि भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाया जा सके।
- शिक्षक और शिक्षार्थी भारतीय ज्ञान प्रणाली (भारतीय ज्ञान परंपरा) की अवधारणा को ग्रहण करके उसे पाठ्यचर्या में समाहित करेंगे और भारतीय भाषाओं सहित ज्ञान की उन्नति और निर्माण के लिए उसे वास्तविक जीवन में लागू करेंगे।
- शिक्षार्थियों में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित होंगे और वे जैवविविधता एवं स्थिरता का सम्मान करने वाले विचारों को अभिनव के साथ सृजित एवं क्रियान्वित करने हेतु चिंतनशील व्यावसायिक बनेंगे।
- शिक्षार्थी नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से समसामयिक समस्याओं को हल करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शोध करेंगे।
- शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों को एकीकृत करने की क्षमता विकसित करेंगे और आजीवन स्व-प्रेरित शिक्षार्थी बनेंगे।
- संकाय संस्थान, समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे।

कार्यक्रमों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि उपस्थित शिक्षक कार्यक्रम के औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों माध्यमों से एनईपी 2020 की गहन समझ के साथ चीजों को बेहतर करने के लिए अभिप्रेरित और प्रोत्साहित होंगे। वास्तव में, कई चीजें समय-सारिणी के बाहर की जा सकती हैं, जो वास्तव में उपरोक्त परिणाम में योगदान देंगी। इस उद्देश्य के लिए लचीले कार्यक्रम का उपयोग करके नवाचार और काफी स्थानीय संसाधनों का उपयोग संभव है। प्रशिक्षु शिक्षकों को कार्यक्रम के दौरान आयोजित की गई तकनीकी (हैंड्स-ऑन) गतिविधियों पर पठन सामग्री और अग्रिम रूप से वीडियो के लिंक भी दिए जाएंगे।

5. एमएमटीटीसी की संरचना:

5.1 क. कार्यक्रम निदेशक एमएमटीटीसी:

अब से, एमएमटीटीसी का प्रमुख कार्यक्रम निदेशक होगा, जो मेजबान विश्वविद्यालय/संस्थान के वरिष्ठ संकाय सदस्यों में से होगा और जिसे संबंधित एचईआई के प्रमुख द्वारा शुरू में तीन साल की अवधि के लिए नामित किया जाएगा। इस अवधि को उसके प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। तथापि, पूर्ववर्ती एचआरडीसी के मौजूदा निदेशक/समन्वयक/स्थायी कर्मचारी अपनी नियुक्ति के समय के सेवा नियमों और शर्तों पर अपनी सेवानिवृत्ति तक

बने रहेंगे।

5.1 ख. सहायक कर्मचारी:

सहायक स्टाफ को पूर्ववर्ती पीएमएमएमएनएमटीटी केंद्रों, जो अब एमएमटीटीसी है, में संविदा के आधार पर आवश्यकतानुसार नियुक्त किया जा सकता है। वे निम्नलिखित विवरणों के साथ संविदा आधार पर तीन सहायक कर्मचारियों को नियुक्त/अनुबंधित कर सकते हैं:

क्र.सं.	पदधारिता	समेकित पारिश्रमिक/माह (रु.)	पारिश्रमिक/वर्ष (रु.)
1.	परियोजना सहायक	35000	4,20,000
2.	कंप्यूटर सहायक	30000	3,60,000
3.	सहायक कर्मचारी	22000	2,64,000
		कुल	10,44,00

* समय-समय पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार संशोधन के अध्यधीन।

पूर्ववर्ती एचआरडीसी के मामले में, किसी भी संविदा कर्मचारी को काम पर नहीं रखा जाएगा/नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि इस प्रयोजन हेतु स्थायी कर्मचारी पहले से ही नियुक्त/उपलब्ध हैं।

पूर्व एचआरडीसी (मानव संसाधन विकास केंद्रों) की कर्मचारी संरचना :

पूर्ववर्ती एचआरडीसी अपनी संरचना को संरक्षित रखेंगे जिसके लिए इन दिशानिर्देशों को लागू करने से पहले नियुक्त शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी यूजीसी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते रहेंगे, जो उनकी नियुक्ति के समय पर लागू थे। पूर्ववर्ती एचआरडीसी के स्थायी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति तक बने रहेंगे। मौजूदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पूर्ववर्ती एचआरडीसी में कोई नया स्थायी संकाय/कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जाएगा। तदुपरांत, मेजबान संस्थानों के स्थायी संकाय सदस्यों/कर्मचारियों को केंद्र के संचालन के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके बाद वे ऊपरोक्तानुसार एमएमटीटीसी स्टाफ पैटर्न का पालन करेंगे।

5.2 एमएमटीटीसी के कार्य:

एमएमटीटीसी के कार्यों में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में नव नियुक्त संकाय सदस्यों के लिए संकाय प्रवेशीय कार्यक्रम (एफआईपी) की योजना बनाना, आयोजन करना, कार्यान्वयन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, एमएमटीटीसी सेवारत शिक्षकों, शोधकर्ताओं, वरिष्ठ प्रशासकों, विभागीय प्रमुखों, प्राचार्यों, अधिकारियों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों आदि के लिए अल्पावधि कार्यक्रम/संकाय विकास कार्यक्रम (एसटीपी/एफडीपी), पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरसी) आदि का आयोजन करेगा, और उन्हें एनईपी अभिविन्यास सुग्राहीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से एनईपी 2020 विषयों से उन्मुख करेगा।

विशेष रूप से, एमएमटीटीसी निम्न कार्य करेगा:

क) एमएमटीटीपी के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संसाधन व्यक्तियों की पहचान करना और उनकी गुणवत्ता और उपयुक्तता

की उचित जांच के बाद उन्हें यूजीसी और अन्य केंद्रों के साथ साझा करना तथा उन्हें पाठ्यक्रम के दर्शनशास्त्र और दिशानिर्देशों से परिचित कराना। संसाधन व्यक्तियों की पहचान एमएमटीटीसी की अकादमिक सलाहकार समिति (एएसी) के अनुमोदन से एक परिभाषित प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी। एएसी की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए। तथापि, नए कार्यक्रम के मामले में, संसाधन व्यक्तियों/विशेषज्ञों की अनुपलब्धता पर, एमएमटीटीसी का कार्यक्रम निदेशक निर्णय लेकर एएसी को रिपोर्ट करेगा।

ख) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए प्रमुख क्षेत्रों का निर्धारण करें।

ग) पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई सामग्री निर्मित करेगा।

घ) पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की योजना बनाना, व्यवस्थित करना, निगरानी करना, मूल्यांकन करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

ड) शिक्षकों के बीच अधिगम और स्व-सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना, और इसे तृतीयक-स्तरीय शैक्षिक प्रणाली में एकीकृत करना।

च) उच्च शिक्षा सुधारों में सुविधा प्रदान करने हेतु निर्णय निर्माताओं के लिए अल्पकालिक नेतृत्व कार्यक्रम आयोजित करना।

छ) सेवारत शिक्षकों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से अनुभवों का आदान-प्रदान करने और एक-दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करना।

ज) विभिन्न विषयों में नवीनतम उन्नयनों पर अद्यतित रहने हेतु सेवारत शिक्षकों के लिए एक मंच की स्थापना करना और बौद्धिक, शोध, सामाजिक विकासों की दिशा में कार्य करना।

झ) वीडियो व्याख्यान और अधिगम संसाधन विकसित करना तथा उन्हें यूजीसी द्वारा प्रदान किए गए एक सामान्य पोर्टल पर अपलोड करना।

ञ) ज्ञान को व्यापक बनाने और शोध अध्ययनों के लिए अवसर प्रदान करना।

ट) उच्च शिक्षा में नई पद्धतियों और नवाचारों को पदार्पित करना ताकि प्रतिभागियों को अपनी अभिनव शिक्षण शैलियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

ठ) शिक्षाशास्त्र और संकाय विकास में आईयूसीटीई के साथ शोध में समन्वय करना।

ड) एमएमटीटीसी केंद्र आपस में और अन्य एचईआई के साथ सहयोग (कोलाब्रेशन) कर सकते हैं।

ढ) यूजीसी/एमओई द्वारा सौंपी गई कोई अन्य जिम्मेदारी।

एमएमटीटीसी के पास कार्यक्रमों को नवोन्मेषी एवं प्रभावी बनाने तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त लचीलापन होगा।

6. मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्षेत्र

एमएमटीटीपी संकाय प्रवेशीय कार्यक्रमों/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/अल्पकालिक कार्यक्रम/संकाय विकास कार्यक्रम के माध्यम से यूजीसी द्वारा यथा अवधारित महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकताओं को संबोधित करेगा। एक सप्ताह/अल्पकालिक कार्यक्रम/संकाय विकास कार्यक्रम में विभिन्न विषयों, जैसे कि अकादमिक नेतृत्व, शोध पद्धति, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, नेट जीरो, उद्यमिता, भारतीय ज्ञान प्रणाली, लैंगिक अध्ययन, समुदाय आधारित भागीदारी शोध, शिक्षकों के साथ संपर्क, शिक्षार्थी की दिव्यांगताएं, डिजाइन थिंकिंग आदि को सम्मिलित

किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम एनईपी अभिविन्यास और सुग्राहीकरण कार्यक्रम के माध्यम से एनईपी 2020 विषयों पर संकाय सदस्यों को सभी स्तरों पर उन्मुख और सुग्राह्य करेगा। कार्यक्रम पीडब्ल्यूडी / दिव्यांग सहित सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित संकाय सदस्यों की भागीदारी पर भी ध्यान केंद्रित करेगा ताकि उसे एनईपी, 2020 के अनुरूप समावेशी बनाया जा सके।

उपरोक्त के अलावा, केंद्रों को अपने संबंधित कार्यक्रमों को शामिल और डिजाइन करने के लिए पर्याप्त स्वायत्ता दी जा सकती है जो एक तरफ नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और दूसरी तरफ भिन्नता या विशिष्टता को प्रोत्साहित करेगा।

7. एमएमटीटीसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम (वार्षिक)

क्र.सं.	**कार्यक्रमों के प्रकार**	**कार्यक्रम की सं. प्रति वर्ष प्रति केंद्र**	**माध्यम/मोड**	**प्रति कार्यक्रम लाभार्थियों की सं.**	**प्रति केंद्र प्रति वर्ष लाभार्थियों की सं.**
क	**ख**	**ग**	**घ**	**ङ.**	**च**
1.	एनईपी अभिविन्यास एवं सुग्राहीकरण कार्यक्रम	24	ऑनलाइन	100-200	4800
2.	संकाय प्रवेशीय कार्यक्रम (24 दिन)	1	आवासीय	40-50	50
3.	संकाय प्रवेशीय कार्यक्रम (24 दिन)	**1**	ऑनलाइन	60-100	100
4.	अल्पावधिक कार्यक्रम (6 दिन)	2	आवासीय	40-50	100
5.	अल्पावधिक कार्यक्रम (6 दिन)	3	ऑनलाइन	60-100	300
6.	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (12 दिन) मुख्य विषय एवं अंतर-विषयक	2	आवासीय	40-50	100
7.	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (12 दिन) मुख्य विषय एवं अंतर-विषयक	3	ऑनलाइन	60-100	300
8.	कुल	36			5750

7क. अन्य कार्यक्रम

क्र.सं.	**कार्यक्रमों के प्रकार**	**कार्यक्रम की सं. प्रति वर्ष प्रति केंद्र**	**माध्यम/मोड**	**प्रति कार्यक्रम लाभार्थियों की सं.**	**प्रति केंद्र प्रति वर्ष लाभार्थियों की सं.**
क	**ख**	**ग**	**घ**	**ङ.**	**च**
1.	डिजाइन एवं उद्यमशीलता पर क्षमता निर्माण	1	हाइब्रिड	50-60	**50-60**

2.	शिक्षक संपर्क कार्यक्रम	**12** (या पीएबी पीठ द्वारा निर्धारित)	ऑफलाइन	**150-200**	**150-200**
3.	भावी नेतृत्व पोषण कार्यक्रम	25	ऑफलाइन	**30**	**750**
4.	विशिष्ट शिक्षण अक्षमताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	**12**	हाइब्रिड	**210**	**2400**
5.	अकादमिक नेतृत्व कार्यक्रम	**4**	ऑफलाइन	25	**100**

7.1 क) एनईपी अभिविन्यास और संवेदनशीलता कार्यक्रम

कार्यक्रम का संचालन:

एनईपी अभिविन्यास और संवेदनशीलता कार्यक्रम सभी एमएमटीटीसी केंद्रों द्वारा ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। लक्ष्य तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) में लगभग 15 लाख संकाय सदस्यों तक पहुंचने का है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा आठ विषयों पर संवेदनशीलता और अभिविन्यास प्रदान करना है। कार्यक्रम पूरा होने के उपरांत, प्रतिभागियों को एक ऑनलाइन प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।

कार्यक्रम की अनुसूची:

एनईपी अभिविन्यास एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम दो सप्ताह की अवधि में 8 दिनों का होगा, जिसमें प्रति दिन दो लाइव ऑनलाइन सत्र (प्रत्येक 90 मिनट) होंगे। प्रतिभागियों को प्रत्येक थीम सत्र में 5 प्रश्नों के साथ अगले सप्ताह एमसीक्यू पूरा करना होगा।

मूल्यांकन का विकल्प संसाधन व्यक्ति द्वारा चुना जा सकता है, जो जरूरी नहीं कि केवल एमसीक्यू प्रारूप में हो।

जिम्मेदारियाँ:

एमएमटीटीसी: एमएमटीटीपी पोर्टल के माध्यम से प्रतिभागियों के पंजीकरण की निगरानी रखना, उपस्थिति की निगरानी रखना, मूल्यांकन पूरा करने की निगरानी करना और एमएमटीटीपी पोर्टल (https://mmc.ugc.ac.in/) के माध्यम से प्रतिभागियों का सत्यापन करना।

संसाधन व्यक्ति: 90 मिनट की प्रस्तुति/वार्ता प्रस्तुत करना, सत्र योजना को साझा करना और एमएमटीटीसी* के साथ अग्रिम रूप से 5 एमसीक्यू का प्रस्तुतीकरण करना।

* उपयुक्त उपकरणों सहित एलएमएस के साथ एक केंद्रीकृत तकनीकी मंच विकसित करना जिसका उपयोग औपचारिक और अनौपचारिक वार्ता, सहकारी और सहयोगात्मक रणनीतियों के साथ-साथ एक अभिनव मंच के लिए किया जा सकता है।

विषय (थीम्स) :

- समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा
- भारतीय ज्ञान प्रणाली और बहुभाषावाद
- शैक्षणिक नेतृत्व, शासन और प्रबंधन
- उच्च शिक्षा और समाज

- शोध और विकास
- कौशल विकास
- छात्र विविधता और समावेशी शिक्षा
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
- संस्थान को स्वायत्तता और छात्रों को विकल्प
- पाठ्यक्रम, विकास, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन

प्रतिभागियों के लिए दिशानिर्देश:

- कार्यक्रम से पूर्व, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण पोर्टल पर पंजीकरण करना। इसके अलावा, एमएमटीटीसी प्रतिभागियों को सीधे पंजीकृत कर सकते हैं, तथापि, संबंधित केंद्र द्वारा कार्यक्रम पूरा होने के दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिभागियों का विवरण एमएमटीटीपी पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।
- सभी सत्रों में उपस्थिति अनिवार्य है।
- उन लोगों को एक ऑनलाइन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जिन्होंने दो सप्ताह के कार्यक्रम में भाग लिया है और मूल्यांकन मापदंडों को पूरा किया है।
- एनईपी अभिविन्यास एवं सुग्राहीकरण कार्यक्रम को नियमितीकरण/सीएएस के लिए एक सप्ताह की एफडीपी/एसटीपी के बराबर माना जाएगा।

योग्यता मानदंड:

- केंद्रीय, राज्य, मानित विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय सदस्य।
- विभिन्न व्यावसायिक परिषदों (एआईसीटीई, एनएमसी, बीसीआई, आईएनसी, पीसीआई, आईसीएआर आदि) के तहत एचईआई के संकाय सदस्य।
- एचईआई में संविदात्मक, तदर्थ, अतिथि संकाय शिक्षक, शिक्षक और प्रदर्शनकर्ता, जो भी लागू हो।
- एचईआई में पीएच.डी. या पोस्ट-डॉक्टोरल स्तर पर शोधार्थी और शोध सहयोगी।

वित्तीय मानदंड:

कार्यक्रमों के प्रकार	कार्यक्रम की सं. प्रति वर्ष प्रति केंद्र	माध्यम/मोड	प्रति कार्यक्रम लाभार्थियों की सं.	प्रति केंद्र एक कार्यक्रम की लागत (रु.)	प्रति केंद्र 24 कार्यक्रमों की लागत (रु.)
एनईपी अभिविन्यास एवं सुग्राहीकरण कार्यक्रम	24	ऑनलाइन	100-200	36300	8,71,200

ख) संकाय प्रवेशीय कार्यक्रम (एफआईपी)

पात्रता मानदंड:

संकाय प्रवेशीय कार्यक्रम (एफआईपी) केंद्रीय, राज्य, मानित विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के

संस्थानों, महाविद्यालयों और अन्य एचईआई में संकाय सदस्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उन्हें पाठ्यचर्या विकास, शिक्षण-अधिगम पद्धतियों, आकलन और मूल्यांकन तकनीकों, आईसीटी-सक्षम शिक्षण-अधिगम और विश्वविद्यालय के नियमों एवं विनियमों आदि से परिचित कराता है। नव नियुक्त शिक्षकों के लिए, संकाय प्रवेशीय कार्यक्रम (एफआईपी) को नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर पूरा करना अनिवार्य है।

एमएमटीटीसी दो एफआईपी (एक आवासीय और एक ऑनलाइन) आयोजित कर सकते हैं। पाठ्य-वस्तु एवं पाठ्य-विवरण यूजीसी गुरु दक्षता (https://www.ugc.gov.in/ebook/GURU%20DAKSHTA%20English/mobile/index.html) के साथ संरेखित होंगे।

सभी मॉड्यूल को पूरा करने के लिए, कुछ परियोजना कार्य और क्षेत्र दौरों/सर्वेक्षणों सहित 144 घंटों की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम की अवधि 4 सप्ताह की होगी।

कार्यक्रम अनुसूची और वित्तीय मानदंड:

कार्यक्रमों के प्रकार	**कार्यक्रम की सं. प्रति वर्ष प्रति केंद्र**	**माध्यम/मोड**	**प्रति कार्यक्रम लाभार्थियों की सं.**	**कार्यक्रम वार लागत (रु.)**
एफआईपी (24 दिन)	1	आवासीय	40-50	14,05,800
एफआईपी (24 दिन)	1	ऑनलाइन	60-100	1,68,300

ग) अल्पावधि कार्यक्रम/संकाय विकास कार्यक्रम:

अल्पावधि कार्यक्रम (एसटीपी) की अवधि 6 कार्य दिवस (36 घंटे) होगी। एमएमटीटीसी एक वर्ष में 5 अल्पकालिक कार्यक्रम (2 आवासीय और 3 ऑनलाइन) आयोजित कर सकता है।

पात्रता मापदंड:

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत संकाय सदस्य, जो यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत शामिल हैं। ऐसे महाविद्यालयों के शिक्षक जो अभी तक धारा 2(एफ) के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम तीन वर्षों से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, उन्हें पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। ये शर्तें केवल आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए लागू हैं।

कार्यक्रम अनुसूची और वित्तीय मानदंड

कार्यक्रमों के प्रकार	**कार्यक्रम की सं. प्रति वर्ष प्रति केंद्र**	**माध्यम/मोड**	**प्रति कार्यक्रम लाभार्थियों की सं.**	**कार्यक्रम वार लागत (रु.)**	**प्रति केंद्र कार्यक्रमों की कुल लागत**
एसटीपी/एफडीपी	2	आवासीय	40-50	379500	7,59,000
एसटीपी/एफडीपी	3	ऑनलाइन	60-100	49500	1,48,500

प्रौद्योगिकी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, निगरानी, मूल्यांकन, विश्लैषिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है,

इसलिए प्रत्येक एमएमटीटीसी को आईसीटी अनुप्रयोगों, जैसे कि MOOCs का विकास, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, आकलन और मूल्यांकन में आईसीटी अनुप्रयोग, मिश्रित अधिगम, ई-सामग्री का विकास, मुक्त शिक्षा संसाधन आदि पर कम से कम एक अल्पकालिक कार्यक्रम संचालित करना होगा।

घ) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम दो सप्ताह की अवधि का होगा, जिसमें न्यूनतम 12 कार्य दिवस और 72 संपर्क घंटे (दिन में छह घंटे, सप्ताह में छह दिन) होंगे। एमएमटीटीसी एक वर्ष में 5 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (2 आवासीय और 3 ऑनलाइन) आयोजित कर सकता है।

पात्रता मानदंड:

(i) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत संकाय सदस्य, जो यूजीसी अधिनियम की धारा 2(एफ) के अंतर्गत शामिल हैं। जिन महाविद्यालयों के शिक्षक अभी तक धारा 2(एफ) के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम तीन वर्षों से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, उन्हें पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। ये शर्तें केवल आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए लागू हैं।

(ii) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए, प्रवेश हेतु एफआईपी में भागीदारी एक अनिवार्यता है। शिक्षक एफआईपी के बाद एक साल के अंतराल के बाद पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का विकल्प चुन सकते हैं। आवासीय आरसी के लिए, दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के बीच न्यूनतम एक वर्ष का अंतर होना चाहिए, हालांकि यदि पर्याप्त संख्या में प्रतिभागी उपलब्ध नहीं हैं तो इसमें छूट दी जा सकती है, या शिक्षक के लिए यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कैरियर उन्नति के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम निम्नलिखित में संचालित किया जा सकता है

- मुख्य विषय/ विभाग
- बहु-विषयक/अंतर्विषयक/ प्राविषयक / क्रॉस डिसीप्लिनरी क्षेत्र।
- एक बेहतर/प्रभावी/महान शिक्षक कैसे बनें?

प्रत्येक बहु-विषयक /अंतर्विषयक /प्राविषयक /क्रॉस डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम विषय / विभाग में पुनश्चर्या कोर्स के समान होंगे ।

कार्यक्रम अनुसूची और वित्तीय मानदंड

कार्यक्रमों के प्रकार	कार्यक्रम की सं. प्रति वर्ष प्रति केंद्र	माध्यम/मोड	प्रति कार्यक्रम लाभार्थियों की सं.	कार्यक्रम वार लागत (रु.)	प्रति केंद्र कार्यक्रमों की कुल लागत
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	2	आवासीय	40-50	7,49,100	14,98,200
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	3	ऑनलाइन	60-100	89,100	2,67,300

ङ.) शिक्षक संपर्क कार्यक्रम (टीचर कनेक्ट प्रोग्राम)

1. जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा के अनुसरण में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 9-10 सितंबर 2023 को आयोजित 2 दिवसीय शिक्षक संपर्क कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

2. एनईपी, 2020 के मूलभूत सिद्धांतों में से एक, अन्य बातों के साथ-साथ, शिक्षकों और संकायों को शिक्षण प्रक्रिया के स्तंभ के रूप में मान्यता देता है। यह उनकी भर्ती, निरंतर व्यावसायिक विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा शर्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख तत्व के रूप में मान्यता देता है कि प्रत्येक संकाय सदस्य अपने छात्रों, संस्थानों और व्यवसाय को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रसन्न, उत्साही, कर्तव्यनिष्ठ और अभिप्रेरित हो। शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी, 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिशन मोड दृष्टिकोण से संकाय और शिक्षकों की भर्ती शुरू की है। पिछले एक वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में संकायों/शिक्षकों की भर्ती एचईआई और स्कूलों में की गई है।

3. इसके अलावा, देश की भावी मांग और 'मिशन लाइफ' में अंतर्निहित स्थायी जीवन शैली की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, इन चुनौतियों से निपटने हेतु हमारी शिक्षा प्रणालियों को बदलने में संकाय और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

4. तदनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न विषयों और शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन, शोध और नवाचार, छात्रों का समग्र विकास, भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) आदि जैसे अन्य संबद्ध मामलों के बारे में नव नियुक्त शिक्षकों/संकाय को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

5. इसी उद्देश्य से, देश के विभिन्न भागों में (क्षेत्रवार) 2-दिवसीय टीचर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और कौशलीकरण संस्थानों से लगभग 200 नए भर्ती किए गए संकाय और शिक्षक प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेंगे [प्रतिभागियों को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा]। जैसे-जैसे क्षमता निर्माण उभरते क्षेत्रों के नजरिए से विकसित और गतिशील हो रहा है, कई और पहलों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि शिक्षण-अधिगम के लिए क्षमता निर्माण, कई भारतीय भाषाओं में पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र, छात्रों का कल्याण, उनका मनोवैज्ञानिक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य आदि पर प्रशिक्षण। इसलिए, कार्यक्रम की संख्या का निर्धारण और निर्णय पीएबी अध्यक्ष द्वारा किया जाना है।

6. इस कार्यक्रम को चलाने के लिए एनआईईपीए ज्ञान भागीदार होगा।

वित्तीय मानदंड

कार्यक्रमों के प्रकार	कार्यक्रम की सं. प्रति वर्ष प्रति केंद्र	माध्यम/मोड	प्रति कार्यक्रम लाभार्थियों की सं.	कार्यक्रम वार लागत (रु.)	प्रति केंद्र कार्यक्रमों की कुल लागत
शिक्षक संपर्क कार्यक्रम	12 या पीएबी पीठ द्वारा निर्धारित	आवासीय	200 (एक कार्यक्रम के लिए)	25,00,000	3,00,00,000

च) डिजाइन और उद्यमिता के लिए क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य देश में शिक्षा प्रणाली को बदलना है। यह नवप्रवर्तन की संस्कृति को बढ़ावा देने; उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और शिक्षा प्रणाली के भीतर वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए नवीन समाधान विकसित करने हेतु छात्रों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने पर भी ज़ोर देती है।

डिज़ाइन थिंकिंग एक समस्या-समाधान दृष्टिकोण है, जो जटिल चुनौतियों के लिए रचनात्मक और नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करता है। यह अंतिम-उपयोगकर्ताओं की जरूरतों और दृष्टिकोणों को समझने तथा प्रभावी समाधानों तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता-केंद्रित, सहानुभूतिपूर्ण और पुनरावृत्त दृष्टिकोण को लागू करने पर केंद्रित है। शिक्षा के संदर्भ में, डिजाइन थिंकिंग शिक्षकों को शिक्षार्थी-केंद्रित पाठ्यचर्या बनाने, शिक्षण विधियां विकसित करने, और मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करते हैं और गहन चिंतन, समस्या-समाधान और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।

तदनुसार, डिजाइन और उद्यमिता विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ एनईपी के प्रमुख तत्वों के बारे में जानकारी देने के लिए मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) के तत्वावधान में डिजाइन एवं उद्यमिता पर संकाय और एचईआई के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजाइन और उद्यमिता विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ रचनात्मक परिवर्तन के लिए संकाय और एचईआई की क्षमता को बढ़ाना है।

भाग लेने वाले संस्थानों के लिए मार्गदर्शक (मैन्टर)

इसे संकाय के साथ प्रत्येक छात्र के मार्गदर्शन और विशेषज्ञ मार्गदर्शक के एक समूह द्वारा संकाय, छात्रों की टीमों और एचईआई भागीदारों के बीच रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

प्रत्येक भाग लेने वाले एचईआई को दो साल की अवधि के लिए अधिकतम तीन पर्यवेक्षक आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक पर्यवेक्षक 8-10 संकाय सदस्यों और तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष यूजी तथा द्वितीय वर्ष पीजी और एक वर्ष के लिए पीएचडी के अग्रिम वर्षों से छात्रों की समकक्ष संख्या में टीमों का पर्यवेक्षण करने के लिए लगभग 40 व्यक्ति दिवस समर्पित करेगा।

भाग लेने वाले संस्थानों के लिए पात्रता मानदंड

सार्वजनिक वित्तपोषित एचईआई निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं:

1. सार्वजनिक वित्तपोषित एचईआई को एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 और 2023 में किसी भी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) श्रेणी में शीर्ष 200 में होना चाहिए।
2. एचईआई राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप नीति (एनआईएसपी) में पंजीकृत होना चाहिए और छात्रों के नवाचार के लिए उसके वार्षिक परिचालन व्यय का कम से कम 1% धन आवंटित किया गया हो।
3. एचईआई के पास यूजी, पीजी और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करने वाले कम से कम 3 शैक्षणिक विभाग होने चाहिए, जिनमें यूजी कार्यक्रमों के लिए एक बहु-विषयक आधार विकसित करने की क्षमता हो।

भाग लेने वाले संस्थानों की जिम्मेदारियाँ

भाग लेने वाले एचईआई से अपेक्षा की जाती है कि वे निम्नलिखित प्रमुख पहलें करके अपने डिजाइन और उद्यमिता विकास पहल को तेज करने के लिए इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे:

1. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से कम से कम 3 विभागों में यूजी, पीजी और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और शैक्षणिक कैलेंडर में सामान्य स्लॉट बनाएं (प्रति सप्ताह 3 घंटे + हैकथॉन के लिए प्रति सेमेस्टर 3 दिन + फील्ड वर्क के लिए एक वर्ष में 3 सप्ताह)।
2. प्रति सप्ताह 3 घंटे के सामान्य स्लॉट का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है -

   क. सेवा शिक्षण या उत्पाद डिज़ाइन पाठ्यक्रमों के एक क्रम का परिचय कराने में, पहले और दूसरे वर्ष के यूजी छात्रों के लिए प्रत्येक छमाही में एक, और पहले वर्ष पीजी एवं पीएचडी छात्रों के लिए। एचईआई मौजूदा पाठ्यक्रमों को फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं या नए पाठ्यक्रम बना सकते हैं। पाठ्यक्रमों में कर्म-प्रेरित-अधिगम/अर्थात लर्निंग बाइ डुइंग (व्यक्तिगत और समूह) के मंत्र का अनुसरण, गतिविधियों का निरंतर मूल्यांकन और सहानुभूति को बढ़ावा देना तथा वास्तविक दुनिया की समस्याओं की खोज करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

   ख. तीसरे एवं चौथे वर्ष के यूजी छात्रों या दूसरे वर्ष के पीजी छात्रों या पीएच.डी. में अग्रिम वर्षों में छात्रों की होनहार टीमों को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट डोमेन पर केंद्रित मुक्त ऐच्छिक विषयों को पदार्पित करना ताकि विस्तृत डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग और उद्यमशीलता गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। पीजी एवं पीएचडी छात्रों को इस पहल में शामिल किए जाने का आशय न केवल शोध को संबल प्रदान करना है, अपितु वाणिज्यकरण को प्रोत्साहित करना तथा अगली पीढ़ी के संकाय तैयार करना है।

3. पर्यवेक्षक कार्यक्रम के लिए प्रत्येक वर्ष 25-30 संकाय सदस्यों को चिन्हित एवं नामांकित करना। संकाय के इस वर्ग को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए -

   क. रचनात्मक परिवर्तन की क्षमता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ पर्यवेक्षकों के साथ छात्र-दर-छात्र पर्यवेक्षी सत्रों एवं चर्चाओं में भाग लेना।

   ख. तीसरे/चौथे वर्ष यूजी में या दूसरे वर्ष पीजी या पीएचडी के अग्रिम वर्षों में, 15-20 होनहार छात्र टीमों (औसत आकार 4) की पहचान करना और उनका सह-पर्यवेक्षण करना। टीमों को उनकी रुचि के विषय के आधार पर विभिन्न वर्षों और अध्ययन शाखाओं के छात्रों का मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

   ग. सामान्य स्लॉट में पाठ्यक्रमों को संचालित करना और पहले एवं दूसरे वर्ष यूजी, पहले वर्ष के पीजी एवं पीएचडी से लगभग 1,400 छात्रों के लिए कर्म-प्रेरित-अधिगम (लर्निंग बाइ डुइंग) की सुविधा प्रदान करना।

4. हर साल उत्पाद डिजाइन और उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए 18-20 होनहार छात्र टीमों को समर्थन देने के लिए उचित मात्रा में नवाचार निधि आवंटित करना, और कर्म-प्रेरित-अधिगम अर्थात लर्निंग बाइ डुइंग का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।
5. अतिरिक्त संसाधन जुटाने और संकाय एवं छात्रों के लिए शिक्षण के अवसर पैदा करने हेतु उद्योग, सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों जैसे स्थानीय भागीदारों की पहचान करना।
6. कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए पर्याप्त नेतृत्व के साथ एक अभिशासन संरचना स्थापित करना।

कार्यक्रम के लिए केंद्रीय केंद्र

कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, आईआईआईटीडीएम, कांचीपुरम होगा जो एचईआई और पर्यवेक्षकों के चयन का प्रबंधन करेगा, एचईआई को पर्यवेक्षक आवंटित करेगा, सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधन सामग्री को साझा करने के लिए उपयुक्त वेबिनार आयोजित करेगा, प्रगति की निगरानी करेगा और पर्यवेक्षकों को मानदेय का संवितरण करेगा। गुरु. एचईआई को अलग से कोई अनावर्ती या आवर्ती अनुदान नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम दो साल (2024-26) की अवधि के लिए 50 होनहार एचईआई को लक्षित करेगा।

वित्तीय मानदंड

2024-25 से 2025-26 के लिए इस कार्यक्रम की वित्तीय आवश्यकताएँ निम्नानुसार होंगी:

विवरण	प्रारंभिक (जनवरी-मार्च 24) (रु.)	वर्ष-1 (2024-25) (रु.)	वर्ष - 1 (2025-26) (रु.)	कार्यक्रम कुल (रु.)
पंजीकृत संस्थानों की संख्या	50			
मार्गदर्शन किए जाने वाले शिक्षक सदस्यों की कुल संख्या		1,400	1,450	2,850
सभी संस्थानों को समर्थन देने वाले कुल मार्गदर्शक		150	150	150
शिक्षक वर्ग के मार्गदर्शन के लिए कुल एमओई (MoE)		10,92,00,000	12,44,10,000	23,36,10,000

संस्थानों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करना

इच्छुक एचईआई इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए एक स्पष्ट और संक्षिप्त प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रस्तावों में निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से व्यक्त होनी चाहिए:

1. एचईआई इस कार्यक्रम में क्यों भाग लेना चाहता है और वह अपनी एनईपी योजनाओं के साथ कैसे प्रासंगिक है ?
2. इस कार्यक्रम के माध्यम से उसका 3 से 5 वर्षों में कौन से विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने का इरादा है ?
3. उसका इस कार्यक्रम को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में कैसे एकीकृत और संस्थागत बनाने का इरादा है ?
4. सीनेट या बोर्ड और इन्फ्रा जैसे शासी निकायों से अनुमोदनों सहित कार्यक्रम की प्रमुख पहलों को लागू करने के लिए एचईआई की तत्परता का स्तर क्या है ?
5. टीमों का समर्थन करने के लिए एचईआई द्वारा कितना धन आवंटित किया जाएगा और उसकी निधियों के स्रोत क्या हैं ?
6. इस कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए किन स्थानीय उद्योग भागीदारों ने प्रतिबद्धता दिखाई है और उनके समर्थन की प्रकृति क्या है ?
7. एचईआई में कार्यक्रम का समन्वय कौन करेगा ? (पीआई/सह-पीआई को अधिमानतः नेतृत्व की स्थिति में होना चाहिए और वे वांछित संस्थागत परिवर्तनों को क्रियान्वित कराने में सक्षम होने चाहिए)।

8. स्थानीय उद्योग भागीदारों, स्टार्ट-अप समुदाय या उद्योग से सेवानिवृत्त व्यावसायिकों या अन्य शैक्षणिक संस्थानों के वरिष्ठ संकाय से पांच पर्यवेक्षकों की एक सूची उपलब्ध करें। उनकी सहमति ली जा सकती है और उनकी प्रोफाइल और संपर्क विवरण संलग्न किए जा सकते हैं। पर्यवेक्षकों के पास उत्पाद विकास और उद्यमशीलता पहलों में गहन अंतर-विषयक विशेषज्ञता, अनुभव, श्रव्य कौशल, संकाय का पर्यवेक्षण करने की क्षमता और प्रति वर्ष 40 दिन (छमाही के दौरान प्रति सप्ताह 1 दिन) का समय देने की मंशा होनी चाहिए।

एचईआई का चयन मानदंड

इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए एचईआई और पीआई/सह-पीआई के विजन, तत्परता, प्रतिबद्धता और प्रतिष्ठा के आधार पर और पर्यवेक्षित संकाय सदस्यों की संख्या, समर्थित उद्यमशीलता टीमों और पोषित किए गए छात्रों की पाइपलाइन के संदर्भ में प्राप्त परिणाम के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा। चयनित संस्थानों द्वारा कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए नोडल केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे।

कार्यक्रम सलाहकार परिषद

केंद्रीय केंद्र का मार्गदर्शन करने के लिए कार्यक्रम सलाहकार परिषद होगी जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित किया जाएगा।

छ) भावी नेतृत्व पोषण कार्यक्रम

जैसे कि भारत दुनिया में तेजी से प्रमुख भूमिका निभा रहा है, इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में छात्रों और संकाय सदस्यों, दोनों में नेतृत्व विकास विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। संकाय सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास न केवल उनमें से कुछ को शैक्षिक नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार करने में मदद करेगा, बल्कि उन संकाय सदस्यों के लिए भी आंतरिक लाभ होगा जो नेतृत्व की भूमिका निभाने में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वयं के शोध और शिक्षण गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अपने छात्रों में नेतृत्व कौशल विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी, जिससे राष्ट्र को ठोस और व्यापक लाभ मिलेंगे।

प्रशिक्षित और अनुभवी संस्थागत नेताओं की इस आवश्यकता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में भी रेखांकित किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी उल्लेख किया गया है :

(i) **संकाय की विशेषज्ञता** को उचित पुरस्कार, पदोन्नति, मान्यता और **संस्थागत नेतृत्व** में भूमिका निभाने के लिए **प्रोत्साहित** किया जाएगा, **यहां तक कि प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा।**

(ii) **उत्कृष्ट और उत्साही संस्थागत नेताओं (लीडर्स) की मौजूदगी,** जो **उत्कृष्टता** और नवप्रवर्तन को पोषित करे, समय की मांग है

(iii) **उत्कृष्ट संकाय** की पहचान प्रारंभिक तौर पर की जाएगी और उन्हें नेतृतव वाले पदों के लैडर के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा।

(iv) **उत्कृष्ट नेताओं** की पहचान की जाएगी और उन्हें **जल्दी विकसित किया जाएगा,** जो नेतृत्व वाले पदों के लैडर के माध्यम से अपना काम करेंगे।

उद्देश्य

कार्यक्रम के उद्देश्य हैं:

(i) ऐसा **पारिस्थितिकी तंत्र** बनाना जो **संकाय सदस्यों को उनके कैरियर के आरंभिक स्तरों पर** नेतृत्व कौशल आत्मसात करने में सहायता प्रदान करे ताकि उनके व्यक्तिगत और संगठनात्मक, दोनों लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

(ii) एक **व्यापक** नेतृत्व विकास कार्यक्रम बनाना (सभी स्तरों पर सभी संकायों के लिए)।

(iii) नेतृत्व पदों की श्रेणी के लिए **संभावित नेताओं** के संग्रह का विस्तार करना।

(iv) **संकाय सदस्यों को इस प्रकार तैयार करना** कि वे सामूहिक निर्णय लेने, साझा अभिशासन, पहलें विकसित करने, समस्या समाधान में प्रभावी और सक्रिय रूप से योगदान कर सकें।

(v) शिक्षण-अधिगम और छात्र सहभागिता में सुधार करना।

(vi) अपने विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का निर्माण करना।

कार्यक्रम की परिकल्पना इस प्रकार की गई है कि **"हर कोई एक नेता"** बन सके और खुली और सहभागी संस्कृति के साथ एक सशक्त कार्यबल बनाने में सक्षम हो सके।

मेजबान संस्थानों की पहचान

कार्यक्रम को **शीर्ष प्रबंधन संस्थानों** द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग वाले शिक्षण संस्थानों में प्रदान किया जाएगा जिनके पास प्रबंधन/नेतृत्व पाठ्यक्रमों को संचालित करने की विशेषज्ञता तथा पीएबी पीठ द्वारा निर्धारित एनआईआरएफ अपेक्षा की पूर्ति करने वाले संस्थानों को शामिल करने की लोचनीयता हो।

हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान **(एनआईईपीए)** कार्यक्रम के लिए समन्वयक संगठन होगा।

एनआईईपीए की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्न शामिल होगा:

(i) शिक्षा मंत्रालय और मेजबान संस्थानों के बीच समन्वय

(ii) लघु-चयनित किए गए संस्थानों को शामिल करना, जो मेजबान संस्थान होंगे

मेजबान संस्थानों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्न शामिल होगा:

(i) संकाय सदस्यों को भाग लेने के लिए आकर्षित करने हेतु कार्यक्रम की विशिष्ट स्थिति सुनिश्चित करना

(ii) नेतृत्व मॉड्यूल और शिक्षाशास्त्र से जुड़े कार्यक्रम विकसित करना

(iii) प्रतिभागियों का एकत्रीकरण एवं चयन

(iv) कार्यक्रम का वितरण

(v) भागीदारी का मूल्यांकन और प्रमाण पत्र

(vi) प्रवास के दौरान प्रतिभागियों के लिए भोजन और आवास

प्रतिभागियों के संस्थानों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्न शामिल होगा:

(i) कार्यक्रम के लिए किसी संस्थान में किसी पाठ्यक्रम में अधिकतम 2 संकाय सदस्यों को नामांकित करना, जिनके कार्यक्रम से लाभान्वित होने की उच्च संभावना हो।

(ii) कार्यक्रम के लिए नामांकित प्रतिभागियों की यात्रा व्यवस्था के खर्च का वहन करना।

कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन रूपरेखा

सभी मेजबान संस्थान **निम्न मानकीकृत कार्यक्रम पद्धतियों के अनुसरण में** कार्यक्रम के लिए चयन प्रक्रिया बनाने, सुविधा प्रदाताओं को कार्य सौंपने, पाठ्य-विवरण निर्धारित करने और शैक्षणिक दृष्टिकोण विकसित करने में स्वायत्ता का लाभ ले सकते हैं:

क. **प्रतिभागी –** केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, यूजीसी और एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और एकीकृत संस्थानों से संकाय।

ख. **नामांकन/चयन के लिए पात्रता –** प्रतिभागियों को कम से कम 3 साल के शिक्षण अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्थायी संकाय होना चाहिए।

ग.**बैच का आकार - 30** प्रतिभागी। पहला बैच **31 मार्च 2024** से पहले पूरा होगा।

घ.**प्रदान करने की प्रक्रिया -** 5 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम।

ड.**मॉड्यूल -** मेजबान संस्थानों को कार्यक्रम के पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को डिजाइन करने की पूर्ण स्वायत्ता होगी। मॉड्यूलों की एक उदाहरणात्मक सूची इस प्रकार है:

- टीम वर्क
- व्यावसायिक कौशल
- महत्वपूर्ण सोच-विचार
- स्व-प्रबंधन
- कर्तव्यपरायण नागरिकता

च. **शिक्षा शास्त्र -** मेजबान संस्थान सुझाए गए शैक्षणिक दृष्टिकोणों की निम्नलिखित सूची के अलावा, अपने स्वयं के शैक्षणिक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं (कार्य करते हुए शिक्षण की अवधारणा के आधार पर):

- अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय केस अध्ययन
- ए.वी. प्रस्तुति
- सामूहिक चर्चा
- भूमिका निर्वहन
- प्रबंधन खेल
- वाद-विवाद
- मेजबान संस्थान के अध्यक्ष, चयन मंडल और उपयुक्त उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत
- महान शिक्षकों, समाज सुधारकों और संस्था निर्माताओं के साथ साक्षात्कार
- जटिल कार्य और प्रोजेक्ट कार्य भी चलता रहेगा।

छ. **मूल्यांकन और भागीदारी प्रमाण पत्र -** मेजबान संस्थान श्रेणीबद्ध शैक्षणिक गतिविधियों और उनके द्वारा विकसित एक अंतिम परीक्षण का संचालन करेगा। कार्यक्रम के सफल समापन पर, प्रतिभागी को **मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) के तत्वावधान में मेजबान संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र** दिया जाएगा। मूल्यांकन का मुख्य तात्पर्य परिदेय (डिलीवरी) और प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता को देखना है।

ज. **कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति:**

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करने के लिए, कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति होगी जिसका गठन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

वित्तीय मानदंड

- कार्यक्रम का **वित्तपोषण** पूरी तरह से द्वारा **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा किया जाएगा।
- किसी संस्थान द्वारा किसी भी एक संस्थान में दिए गए कार्यक्रम के लिए 2 से अधिक प्रतिभागियों को नामांकित किए जाने की स्थिति में, ऐसे अतिरिक्त प्रतिभागियों के लिए पूरी लागत प्रतिभागी के संस्थानों द्वारा वहन की जाएगी।

➢ **यात्रा की लागत** (मेजबान संस्थान से जाने और वापस आने तक) का वहन **प्रतिभागियों के संस्थानों द्वारा किया जाएगा।**

एनएफएलपी के एक चक्र के संचालन की लागत 750 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रति वर्ष 3,75,00,000 रूपये है, जो कि 50,000/- रु. प्रति प्रतिभागी प्रशिक्षण लागत है ।

मोड	कार्यक्रमों / गतिविधि के प्रकार	दिनों की संख्या	लाभार्थियों/ प्रतिभागियों की सं.	प्रति प्रतिभागी लागत* (रु. हजार में)
ऑफलाइन	भावी नेतृत्व का पोषण	5 दिन	2,250	50.00

** लागत में सभी खर्च और कर, यदि कोई हो, शामिल है*

अपेक्षित आउटपुट और परिणाम

कार्यक्रम के सफल समापन पर, निम्नलिखित लाभों की कल्पना की गई है:

➢ समूह प्रबंधन, संचार कौशल और प्रतिभागियों की महत्वपूर्ण सोच-विचार में सुधार लाना।

➢ अन्य संस्थानों को अपने संकाय के लिए समान विकास कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम से प्राप्त शिक्षण व सीखों का प्रसार करना।

➢ प्रशिक्षित संस्थागत नेताओं के एक समूह का निर्माण करना।

➢ उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रशासन में सुधार लाना।

ज) विशिष्ट शिक्षण अक्षमताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

(i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 अन्य बातों के साथ-साथ, छात्रों की शिक्षण अक्षमताओं को स्वीकार करती है। यह नीति दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 के प्रावधानों के पूर्ण अनुरूप है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांग बच्चों के पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प है। संसाधन केंद्र और विशेष शिक्षक गंभीर या बहु-दिव्यांगता वाले शिक्षार्थियों के पुनर्वास और शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, साथ ही उनके माता-पिता को भी सहायता करेंगे ताकि शिक्षार्थी घर पर उच्च गुणवत्ता की स्कूली शिक्षा और कौशल प्राप्त कर सकें।

(ii) समान और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, एनईपी में उल्लेख किया गया है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के मुद्दे स्कूल और उच्च शिक्षा में सामान्य और एक समान हैं। एनईपी 2020 में परिभाषित एसईडीजी की व्यापक श्रेणियों में दिव्यांग बच्चे (शिक्षण की अक्षमता सहित) शामिल हैं। तदनुसार, जो मुद्दे स्कूली शिक्षा से प्रासंगिक हैं, वे उच्च शिक्षा के लिए भी प्रासंगिक है। इसके अलावा, स्थायी सुधार सुनिश्चित करने के लिए सभी चरणों में निरंतरता होनी चाहिए।

(iii) इस मुद्दे को हल करने के लिए, यह आवश्यक है कि शिक्षकों को शिक्षण अक्षमताओं सहित विशिष्ट दिव्यांगताओं वाले छात्रों को पढ़ाने के बारे में पता होना चाहिए, और कम प्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए ताकि उनके कम प्रतिनिधित्व के मुद्दे का समाधान किया जा सके, क्योंकि

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले, वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान देते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना है, भले ही वे कहीं भी निवास करते हों।

(iv) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने और छात्रों की शिक्षण अक्षमताओं के मुद्दे को हल करने के लिए, यह आवश्यक है कि शिक्षण अक्षमताओं पर नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न प्रकार की शिक्षण अक्षमताओं का कामकाज देखने वाले संसाधन व्यक्तियों / विशेषज्ञों को शामिल करके किया जाना चाहिए।

(v) यह कार्यक्रम एनआईईपीए, जो एमएमटीटीपी केंद्रों में से एक है, के माध्यम से संचालित किया जाएगा जिनके पास शैक्षिक योजना और प्रशासन में विशेषज्ञता है।

कार्यान्वयन योजना

(vi) एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप विशिष्ट दिव्यांगता (शिक्षण की दिव्यांगता सहित) वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इस बारे में जागरूकता पैदा करना और ज्ञान सर्जन सभी प्रकार के शिक्षक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना है। तदनुसार, छात्रों की विशिष्ट शिक्षण अक्षमताओं के संदर्भ में एक कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है, जिसे प्रमुख हितधारकों के क्षमता निर्माण के साथ शुरू किया जाना है। पहले चक्र में, कार्यक्रम को 6 महीने की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख हितधारकों अर्थात संस्थानों के प्रमुख, प्रत्येक संस्थान में विभागों के प्रमुख, विभागीय टीमें, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, एआईसीटीई, यूजीसी, एनटीए, एनएएसी आदि, जो भी प्रासंगिक हो, के अधिकारी शामिल होंगे।

(vii) कार्यान्वयन की शुरुआत संस्थानों के प्रमुखों (एचओआई) और प्रतिष्ठित हितधारकों के साथ ऑनलाइन मोड में अभिविन्यास कार्यक्रम के साथ होगी। यह सत्र विशिष्ट शिक्षण अक्षमताओं वाले व्यक्तियों की चिंताओं, उनके लिए समावेशी प्रणाली बनाने के औचित्य, नीतियों और नियामक ढांचे, विशेष छात्रों की क्षमता का उपयोग करने के तरीकों, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, कार्यक्रम से की गई अपेक्षाओं और किस प्रकार कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा, इस पर केंद्रित होगा।

(viii) पूरे कार्यक्रम के लिए संस्थानों के प्रमुखों (एचओआई) और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ाव कायम रखा जाएगा, ताकि उन्हें हर दो महीने में ऑनलाइन बैठक में प्रगति पर चर्चा करने के लिए नियमित संपर्क में रखा जाए।

(ix) अभिनिव्यास सत्र के बाद, '**विभागों का सुग्राहीकरण**' सत्र संचालित किया जाएगा जिसमें एचईआई के विभिन्न विभागों, जैसे कि प्रवेश विभाग, छात्र-जीवन या परिसर-जीवन मामलों के कार्यालय, शैक्षणिक मामलों के कार्यालय, संकाय और परीक्षा कक्ष, आईटी विभाग एवं कैरियर और प्लेसमेंट सेल के प्रमुखों और 2 नामांकित व्यक्तियों को 2 घंटों का प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा।

(x) चिहिन्त किए गए शैक्षणिक संस्थानों के विभिन्न विभागों के प्रमुखों और 2 नामांकित व्यक्तियों के साथ प्रशिक्षण सत्रों में विशिष्ट शिक्षण अक्षमताओं वाले व्यक्तियों की चिंताओं से निपटने हेतु सुग्राहीकरण, उनके लिए समावेशी प्रणाली बनाने के औचित्य, नीतियों और विनियामक व्यवस्थाओं, विशेष छात्रों की क्षमता का उपयोग करने के तरीके, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ, कार्यक्रम से अपेक्षाएँ और किस तरीके से कार्यक्रम

संचालित किया जाएगा, इस पर ध्यान आकृष्ट किया जाएगा।

(xi) विभागों के सुग्राहीकरण के बाद, विशेष सत्र '**प्रत्येक विभाग के लिए मास्टर क्लास**' संबंधित शैक्षणिक संस्थानों से चिह्नित किए गए संसाधन व्यक्तियों/विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक विभाग के साथ अलग-अलग 2 घंटों के दौरान ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक मास्टर क्लास में चिन्हित शैक्षणिक संस्थानों से प्रत्येक विभाग/वर्टिकल के लिए कुल 5 मास्टर क्लास अलग-अलग आयोजित की जाएंगी जिनमें संस्थान के हर विभाग/वर्टिकल से कम से कम 3 प्रतिनिधि होंगे ।

(xii) विशेषज्ञीकृत मास्टर क्लास में विशेषज्ञ द्वारा प्रतिभागियों के साथ परिचयात्मक और अनुभव साझाकरण सत्र, प्रत्येक विभाग की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए प्रासंगिक प्रस्तुति, प्रत्येक विभाग के लिए पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन योजना एवं चेकलिस्ट पर चर्चा और उसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होगा।

(xiii) प्रत्येक विभाग के लिए मास्टर क्लास के बाद, '**क्षेत्र-वार व्यक्तिगत कार्यशालाएँ**', जो ऑफ़लाइन मोड में होंगी, आयोजित की जाएंगी और चिन्हित शैक्षणिक संस्थानों को 6 क्षेत्रों/जोन में विभाजित किया जाएगा ताकि प्रत्येक क्षेत्र में 5 दिनों (यात्रा सहित) की लंबी-अवधि की हैंडहोल्डिंग कार्यशालाएं आयोजित की जा सकें। किसी विशेष क्षेत्र के सभी एचईआई एक कॉमन संस्थान में एकत्रित होंगे। इस कार्यशाला के दौरान, मुख्य प्राथमिकता पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन योजना की समीक्षा करने और उसे अंतिम रूप देने, हैंडहोल्डिंग, एचईआई आधारित कार्यकलाप रणनीति को डिजाइन एवं क्रियान्वित करने पर केंद्रित रहेगी। सत्रों को विभागों के आधार पर विभाजित किया जाएगा।

(xiv) प्रत्येक क्षेत्र के लिए 5 दिनों के कार्यक्रम में, 2 दिन यात्रा के लिए और किसी विशेष क्षेत्र में वर्गीकृत संस्थानों के सभी प्रतिभागियों हेतु कार्यशाला तथा ऑफ़लाइन सत्रों के लिए एक कॉमन संस्थान में बैठक हेतु 3 दिन आरक्षित होंगे। कथित क्षेत्र-विशेष में एचईआई के लिए कॉमन संस्थान में आधा दिन विभाग-वार कार्यशालाओं में विभाजित किया जाएगा।

(xv) मार्गदर्शन कार्यशाला में प्रत्येक विभाग के साथ 4 घंटे का सत्र होगा, जिसमें व्यक्तिगत संस्थानों के सर्वेक्षण परिणामों पर चर्चा, संस्थानों द्वारा अपने कार्यान्वयन प्रगति पर प्रस्तुति की जाएगी, और प्रत्येक संस्थान के लिए एक कार्यान्वयन रोडमैप तैयार किया जाएगा, उसके बाद एक प्रश्नोत्तर सत्र होगा। इन कार्यशालाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए 2 संसाधन व्यक्ति/विशेषज्ञ दौरा करेंगे।

(xvi) '**कार्यान्वयन की निगरानी**' पर विभागों के प्रमुखों (एचओडी) और प्रत्येक विभाग से 2 नामांकित व्यक्तियों (यानी, प्रत्येक संस्थान में 5 विभाग) के लिए संस्था-वार सत्र ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रगति की निगरानी और समस्याओं को हल करने के लिए संस्थानों का मार्गदर्शन किया जाएगा।

(xvii) अंत में, एक सत्र **'कार्यक्रम का समापन'** पर एक सत्र ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा जिसमें सर्वोत्तम प्रथाओं की निगरानी के समावेशन, बेंचमार्किंग और दस्तावेजीकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह ऑनलाइन बैठक प्रत्येक संस्थान के संस्थानों के प्रमुखों और विभागों के प्रमुखों के साथ तीन दिनों की अवधि में क्षेत्र-वार आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक संस्थान और उनके संबंधित विभागों द्वारा अपने कार्यक्रम पर प्रस्तुतीकरण किया जाएगा तथा उसमें राष्ट्रव्यापी पहलों को समावेशी करने पर चर्चा की जाएगी।

(xviii) इस कार्यक्रम के सफल समापन के बाद, इसे 6 महीने की अवधि में एचईआई के नए वर्ग के साथ दोहराया

जाएगा और एमएमटीटीपी योजना के जीवन चक्र तक जारी रखा जाएगा।

वित्तीय निहितार्थ परिणाम और बजट आवश्यकता

(i) प्रत्येक चक्र में, संबंधित क्षेत्रों में संसाधन व्यक्तियों के लगभग 6 दौरे शामिल होंगे। प्रत्येक क्षेत्रवार व्यक्तिगत कार्यशाला की अनुमानित लागत लगभग 1 लाख रुपये है, जिसमें दो संसाधन व्यक्तियों का दौरा, संसाधन सामग्री की छपाई और अन्य विविध खर्च शामिल हैं।

(ii) चूंकि कार्यक्रम 6 महीने की चक्रीय अवधि में 2025-26 तक दोहराया जाएगा, यह अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 से 2025-2026 के लिए विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु 50 लाख रुपये की आवश्यकता है।

I) शैक्षणिक नेतृत्व कार्यक्रम

(i) एनईपी 2020 में परिकल्पित नए आयामों के आलोक में, देश में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा संस्थानों के अकादमिक नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इन उच्च शिक्षा संस्थानों को संस्थागत विकास योजनाएं विकसित करनी होंगी और अपनी कार्यात्मक दक्षताओं को शीर्ष एवं पारंपरिक गतिविधियों के क्षेत्रों तक बढ़ाना होगा तथा दुनियाभर के विश्वविद्यालयों के एक समुदाय द्वारा पेश की गई विशाल बाह्य चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को अपनी दक्षता की मूर्त स्थिति हासिल करनी होगी, जो कुछ हद तक उनकी रैंकिंग में, और सामान्य रूप से गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास के मामले में परिलक्षित हो। इसलिए यह आवश्यक है कि अकादमिक नेताओं को उन महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति उन्मुख किया जाना चाहिए जो उन्हें करने हैं, और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों एवं भूमिकाओं से अवगत कराया जाना चाहिए तथा उन्हें उन आंतरिक और बाह्य चुनौतियों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए जो उन्हें कार्य करते हुए निपटानी होंगी।

(ii) एनईपी 2020 में परिकल्पित प्रभावशाली अकादमिक नेताओं को विकसित करने के लक्ष्यों को पूरा करने; आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईएसईआर, एनआईटी, एसपीए आदि के शीर्ष पदाधिकारियों और संस्थागत प्रमुखों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर एक व्यवस्थित कार्यक्रम विकसित करने तथा महत्वपूर्ण प्रासंगिकता के चयनित मुद्दों में विशेषज्ञीकृत क्षेत्र प्रशिक्षण प्रदान करने, और विशेष रूप से संस्थागत गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ाने की दृष्टि से, यह आवश्यक है कि अकादमिक नेतृत्व कार्यक्रम को मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।

(iii) कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को एक शैक्षिक स्थापना को संचालित करने की जटिलताओं का प्रबंध करने के कौशल प्रदान करना है। गहन चर्चाओं और व्यावहारिक कार्यशालाओं के माध्यम से, उपस्थित लोगों को एक अलग दिशा में सोचने, रणनीतिक एजेंडा तैयार और लागू करने, एक अनुकूल संस्थागत माहौल का पोषण करने और राष्ट्रीय नीति लक्ष्यों की संगतता में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अंतर्दृष्टि और कार्यप्रणालियां प्राप्त होंगी।

(iv) यह एक 5-दिन का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें सहभागिता आधारित सत्र, केस अध्ययन, पैनल चर्चा और कार्यशालाएँ शामिल होंगी, जिनका उद्देश्य प्रत्येक संस्थान के लिए एक कार्य योजना विकसित करना और एक कार्यान्वयन रोडमैप तैयार करना होगा।

(v) उद्देश्य:

क) आधारिक नेतृत्व: स्व-जागरूकता, सामान्य ज्ञान आधार, एक मजबूत नेटवर्क और संस्थान के लिए

प्राथमिकताएँ निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करना

ख) रणनीतिक नेतृत्व विकास: रणनीतिक सोच कौशल विकसित करना, जटिल चुनौतियों का विश्लेषण करना, अभिनव दृष्टिकोणों की खोज करना और परिवर्तन एवं बदलाव लाने की क्षमता बढ़ाना।

ग) टीम निर्माण और हितधारक जुड़ाव: टीम नेतृत्व और सहयोग कौशल विकसित करने, एक समावेशी संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने और हितधारक प्रबंधन क्षमताएँ मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। यह मॉड्यूल नेताओं को सामूहिक निर्णय लेने के साथ स्वामित्व का माहौल कैसे बनाया जाए, इसके बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेगा।

घ) नेतृत्व उत्कृष्टता: इसका लक्ष्य डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए प्रणालियों का निर्माण करना, नेतृत्व की अगली पंक्ति विकसित करना है ।

ड.) स्थिरता: समुदाय के साथ प्रणालीगत संबंध बनाना, वित्तीय स्थिरता के लिए प्रणाली बनाना।

(vi) अपेक्षित परिणाम:

क) दूरदर्शी नेतृत्व: प्रतिभागियों को दूरदर्शी नेतृत्व के मूल मंत्र और संस्थानों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की गहन समझ प्राप्त होगी। प्रतिभागियों को एक परिप्रेक्ष्य प्राप्त होगा जो व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय संशोधित संस्थागत और सामुदायिक लक्ष्यों के महत्व पर जोर देता है।

ख) रणनीतिक योजना: प्रतिभागी संस्थान के दृष्टिकोण और उद्देश्यों से मेल खाने वाले ऐतिहासिक डेटा के आधार पर ठोस योजनाओं को तैयार करने और निष्पादित करने के लिए रणनीतियों में महारत हासिल करेंगे।

ग) निर्णय लेने की दक्षता: प्रतिभागी सर्वोत्तम प्रथाओं को समझकर, वास्तविक जीवन के उदाहरणों का विश्लेषण करके और डेटा संचालित दृष्टिकोण का लाभ उठाकर अपने निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाएंगे।

घ) संगठनात्मक संस्कृति: प्रतिभागी एक सकारात्मक और समावेशी संगठनात्मक संस्कृति विकसित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

ड.) परिवर्तन प्रबंधन: प्रतिभागियों को सफल संगठनात्मक परिवर्तन पहलों का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक उपकरणों और तकनीकों से परिचित कराया जाएगा।

च) हितधारक जुड़ाव: प्रतिभागी छात्रों, कर्मचारियों, अभिभावकों और व्यापक समुदाय सहित विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने और सार्थक संबंध बनाने की कला से अवगत होंगे।

छ) संसाधन जुटाना: प्रतिभागियों को संस्थान के आर्थिक परिदृश्य से अवगत कराया जाएगा जिसमें बंदोबस्ती निधियों, प्रभाव निवेश, वीजीएफ, पीपीपी और सीएसआर जैसे संसाधन जुटाने में उभरती प्रथाओं से परिचित होना शामिल है।

ज) प्रभावी संचार: प्रतिभागी प्रभावी संचार की कला में महारत हासिल करेंगे, जिससे वे दूसरों को प्रेरित करने, संघर्षों को हल करने और सहयोग बढ़ाने में सक्षम होंगे।

झ) व्यक्तिगत विकास और सहनशीलता: प्रतिभागियों को स्व-जागरूकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहनशीलता

और कल्याण को बढ़ाकर एक नेता के रूप में व्यक्तिगत विकास का अनुभव होगा। इसके लिए कभी-कभी स्वयं के हित से अधिक संस्थान के हित में सोचने की आवश्यकता होती है।

ञ) उभरते रुझान: प्रतिभागियों को शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के भविष्य को सशक्त करने वाले उभरते रुझानों, नवाचारों और प्रौद्योगिकियों की खोज करके अपेक्षा से भी आगे रहकर कार्य करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।

ट) दृष्टि की स्पष्टता: प्रत्येक प्रतिभागी को एनईपी'20 के उद्देश्यों के अनुरूप अपने संस्थान के लिए विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों के आधार पर अपने विजन को बढ़ाने हेतु दूसरों के साथ सहयोग बढ़ाने और अपने विजन को साकार करने हेतु रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(vii) विशिष्ट रणनीतियाँ:

क) **मुख्य भाषण, अभिप्रेरणीय नेताओं की गाथाएं:** व्यावसायिक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नेता और दूरदर्शी लोग अपने अनुभव, सामना की गई चुनौतियों और अपनाई गई रणनीतियों को साझा करेंगे कि वे सफल संस्थान नेता कैसे बने। उनकी अंतर्दृष्टियां प्रतिभागियों को अभिप्रेरित और प्रोत्साहित कर सकती हैं।

ख) **पैनल चर्चाएँ:** पैनल चर्चाएं संस्थान नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं पर आयोजित की जाएंगी, जैसे रणनीतिक योजना, निर्णय लेना, नवाचार को बढ़ावा देना, सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण करना, संसाधन जुटाना और शिक्षा परिदृश्य में चुनौतियों का समाधान करना। स्थापित संस्थानों के निदेशक/अध्यक्ष, कुलपति, प्राचार्य सहित अनुभवी नेता इन चर्चाओं में भाग लेंगे और अपनी विशेषज्ञता साझा करेंगे।

ग) **केस स्ट्डी और सर्वोत्तम प्रथाएं:** सफल संस्थानों की नेतृत्व प्रथाओं पर प्रकाश डालते हुए, केस स्टडीज पर चर्चा की जाएगी। ये केस स्टडीज नवप्रवर्तनशील दृष्टिकोण, प्रभावी परिवर्तन प्रबंधन, छात्र-केंद्रित पहलों, समावेशिता एवं विविधता और सामुदायिक जुड़ाव पर केंद्रित होंगे।

घ) **कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण सत्र:** संवादात्मक कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित विशिष्ट नेतृत्व कौशलों और दक्षताओं पर आयोजित किए जाएंगे। विषयों में रणनीतिक योजना, टीम-निर्माण, संचार और हितधारक जुड़ाव, संघर्ष समाधान, डेटा-प्रेरित निर्णय लेना और संगठनात्मक परिवर्तन का प्रबंधन शामिल होगा।

ङ.) **सहकर्मी शिक्षण और नेटवर्किंग के अवसर:** प्रतिभागियों को अनौपचारिक सत्रों, नेटवर्किंग ब्रेक और समूह गतिविधियों के माध्यम से नेटवर्क बनाने और एक-दूसरे से सीखने के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जहां संस्थान प्रमुख अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, और संबंध बना सकते हैं।

च) **व्यक्तिगत विकास और आत्म-चिंतन:** कार्यक्रम को आत्म-चिंतन और व्यक्तिगत विकास के लिए समय देने हेतु डिज़ाइन किया जाएगा। बुद्धिमता, स्व-जागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर सत्र संचालित किए जाएंगे। प्रतिभागियों को उनके व्यक्तिगत और संगठनात्मक विकास के लिए स्व-मूल्यांकन और व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने हेतु संसाधन और उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे।

छ) **उभरते रुझान और प्रौद्योगिकियाँ:** कुछ सत्र शिक्षा में भावी रुझानों और डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, व्यक्तिगत शिक्षा और नवप्रवर्तनशील शैक्षणिक दृष्टिकोण जैसे विषयों पर उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए समर्पित होंगे। संस्थान के प्रमुखों को अग्रिम तौर पर सोचने और विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि रुझान उनकी नेतृत्व रणनीतियों को कैसे बढ़ा सकते हैं।

ज) **परामर्श और कोचिंग के अवसर:** इस कार्यक्रम के बाद एक मेंटरशिप या कोचिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां अनुभवी संस्थान नेता संस्थानों के नए प्रमुखों को सलाह और मार्गदर्शन दे सकेंगे। यह निरंतर समर्थन, सलाह और मार्गदर्शन सुनिश्चित करेगा।

ञ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 200 केंद्रीय वित्तपोषित एचईआई के प्रमुखों को विभिन्न बैचों में शामिल किया जाएगा। अनुमान लगाया गया है कि योजना की पूरी अवधि यानी 2023-2024 से 2025-2026 के लिए अकादमिक नेतृत्व कार्यक्रम आयोजित करने हेतु 2 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है। कार्यक्रम का समन्वय और कार्यान्वयन आईआईटी जम्मू द्वारा किया जाएगा।

8 आवासीय पाठ्यक्रम/कार्यक्रम

i. आवासीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए एमएमटीटीसी द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाठ्यक्रम का आवासीय स्वरूप पूरे समय बना रहे।

ii. कार्यक्रम के लिए चयनित शिक्षकों को प्रायोजक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा पूरे वेतन और भत्ते के साथ ऑन ड्यूटी माना जाएगा।

iii. आवासीय एफआईपी, आरसी एवं एसटीपी/एफडीपी के लिए प्रतिभागियों की संख्या 40-50 होनी चाहिए और उन्हें आस-पास के क्षेत्रों में स्थित एचईआई से लिया जाना चाहिए। इससे लंबी दूरी की यात्रा और परिणामी व्यय से छुटकारा मिलेगा।

iv. समय की पाबंदी, नियमितता, भागीदारी और उद्देश्य पर जोर दिया जाना चाहिए।

v. यूजीसी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों में सफल उम्मीदवारों को यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। यूजीसी-एमएमटीटीसी अधिसूचित वैध आधारों, जैसे कि उपस्थिति, परीक्षा उत्तीर्ण करना आदि पर प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति भी नहीं दे सकता है।

vi. फ़्लिप कक्षाओं के साधन के रूप में, ऑनलाइन एफआईपी, आरसी और एसटीपी/एफडीपी, जिन्हें यूजीसी एमएमटीटीसी द्वारा ओईआर/मूक प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रदान किया है, को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पारंपरिक मोड के बराबर माना जाएगा।

8.1 शिक्षक अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति

शिक्षकों की अध्येतावृत्ति तथा एफआईपी, आरसी, एसटीपी/एफडीपी पाठ्यक्रमों का तात्पर्य व्यावसायिक विकास है।

अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान इन पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (जैसा कि यूजीसी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया है) में भाग लेने में रुचि रखने वाले शिक्षक को अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह उसके व्यावसायिक विकास का पूरक है। इसलिए, यूजीसी ने शिक्षकों को इन पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि:

(i) वह पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में भाग लेने की अवधि के लिए रहने का खर्च छोड़ दे और कार्यक्रम में शामिल होने से पहले संबंधित शोध केंद्र के माध्यम से एमएमटीटीसी को इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करने के लिए सहमति दे।

(ii) पाठ्यक्रम में उस विषय में भाग लिया जाए, जो उसके शोध के लिए प्रासंगिक है।

(iii) इन आधारों पर शिक्षक अध्येतावृत्ति में कोई विस्तार नहीं मांगा गया है।

8.2 आकलन और मूल्यांकन मानदंड

कार्यक्रमों का मूल्यांकन इस प्रकार होगा:

क. **एनईपी 2020 अभिविन्यास और सुग्राहीकरण कार्यक्रम:** एमसीक्यू की 2 परीक्षाएं (40 + 40 अंक) ओवरऑल रिस्पोंस (20 अंक)

ख. **एफआईपी:** जैसा कि एफआईपी/गुरु-दक्षता दिशानिर्देशों में प्रस्तावित है।

ग. **पुनश्चर्या पाठ्यक्रम:**

i) **ऑनलाइन पुनश्चर्या (आरसी):** एमसीक्यू की दो परीक्षाएं (प्रत्येक 30 अंक) + आईसीटी-आधारित सूक्ष्म शिक्षण/असाइनमेंट (20 अंक) + ओवरऑल रिस्पोंस (20 अंक)।

ii) **आवासीय पाठ्यक्रम:** 1 सेमिनार (20 अंक) और 1 प्रोजेक्ट कार्य (20 अंक), एमसीक्यू का एक परीक्षण (20 अंक) + आईसीटी-आधारित माइक्रो शिक्षण/असाइनमेंट (20 अंक) + ओवरऑल रिस्पोंस (20 अंक)।

घ. **अल्पावधि कार्यक्रम/संकाय विकास कार्यक्रम:**

i. **ऑनलाइन एसटीपी/एफडीपी:** एमसीक्यू की दो परीक्षाएं (प्रत्येक 30 अंक) + आईसीटी-आधारित सूक्ष्म शिक्षण/असाइनमेंट (20 अंक) + ओवरऑल रिस्पोंस (20 अंक)।

ii. **आवासीय पाठ्यक्रम:** 1 सेमिनार (20 अंक) और 1 प्रोजेक्ट कार्य (20 अंक), एमसीक्यू की एक परीक्षा (20 अंक) + आईसीटी-आधारित सूक्ष्म शिक्षण/असाइनमेंट (20 अंक) + ओवरऑल रिस्पोंस (20 अंक)।

ग्रेडिंग और प्रमाणीकरण इस प्रकार होगा:

(i) A+: 85 प्रतिशत और उससे अधिक
(ii) A: 70 प्रतिशत से 84 प्रतिशत
(iii) B: 60 प्रतिशत से 69 प्रतिशत
(iv) C: 50 प्रतिशत से 59 प्रतिशत
(v) 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। प्रतिभागियों को अपने खर्च पर पाठ्यक्रम का अध्ययन पुन:करना होगा।

आपात्कालीन या असाधारण मामले/परिस्थितियों को छोड़कर, एमएमटीटीसी के कार्यक्रम निदेशक द्वारा अधिकतम 3-दिन की छुट्टी दी जा सकती है। जो प्रतिभागी ऐसी छुट्टी लेते हैं, उन्हें अगले कार्यक्रम में उतने ही दिनों की क्षतिपूर्ति करनी होगी, और ऐसे प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

8.2.1 **प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया:** प्रतिभागियों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक कार्यक्रम के बाद प्रतिपुष्टि प्रपत्र (फीडबैक फॉर्म) भरें।

8.3 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप, संकाय सदस्यों के व्यावसायिक विकास को बढ़ाने में वार्ताकारी अनुभवात्मक शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) एमएमटीटीपी का एक

महत्वपूर्ण घटक है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षक न केवल सैद्धांतिक ज्ञान में सक्षम हों, बल्कि व्यावहारिक अनुभवों से व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और कौशल भी प्राप्त करें। यह एमएमटीटीसी के कार्यक्रम निदेशकों के लिए सुग्राहीकरण सहित एक नियमित गतिविधि होगी। यदि किसी भी एमएमटीटीसी द्वारा कोई अतिरिक्त रोचक और उपयोगी शिक्षण सामग्री बनाई जाती है, तो उसे सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए अन्य सभी एमएमटीटीसी के साथ साझा किया जा सकता है।

टीओटी के प्रमुख तत्व और एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास से इसका संबंध इस प्रकार है:

क. अनुभवात्मक और व्यावहारिक शिक्षा:

टीओटी सत्रों में अनुभवात्मक शिक्षण विधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे प्रशिक्षक एनईपी-2020 द्वारा समर्थित शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षाशास्त्र को प्रतिबिंबित करने वाली व्यावहारिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न रह सकें।

नवपवर्तनशील और छात्र-केंद्रित पद्धतियों का प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक शिक्षण परिदृश्यों और सिमुलेशन को प्रशिक्षण में एकीकृत किया जाना चाहिए।

ख. वार्ताकारी शिक्षण (इंटरैक्टिव लर्निंग) दृष्टिकोण:

इसमें गहन सोच और जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए एक वार्ताकारी शिक्षण दृष्टिकोण पर जोर दिया जाएगा। यह विशेष रूप से ऑनलाइन एफडीपी के लिए महत्वपूर्ण है, जहां प्रशिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे प्रतिभागियों को वस्तुतः संलिप्त रखने की कला में महारत हासिल करें।

इसमें समूह चर्चा, केस स्ट्डी और सहयोगात्मक परियोजनाओं जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाना होगा ताकि संवादात्मक विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जा सके।

ग. संसाधन व्यक्तियों का उन्मुखीकरण:

संसाधन व्यक्तियों को, विशेष रूप से ऑनलाइन मोड में, एक अभिविन्यास प्रदान करें। इसमें प्रभावी ऑनलाइन शिक्षण रणनीतियों पर प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधनों का उपयोग और एक समावेशी एवं इंटरैक्टिव वर्चुअल शिक्षण वातावरण बनाना शामिल है।

एनईपी-2020 के विकास में शामिल प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के अतिथि सत्र मूल्यवान अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं।

घ. प्रख्यात विशेषज्ञों की भागीदारी:

टीओटी सत्रों के दौरान अपने दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि को साझा करने के लिए एनईपी-2020 को रूपरेखा देने में भूमिका निभाने वाले प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को आमंत्रित करें।

इन विशेषज्ञों के साथ अतिथि व्याख्यान, पैनल चर्चा और प्रश्नोत्तर सत्र नीति ढांचे और शिक्षण प्रथाओं के लिए इसके निहितार्थ की गहरी समझ प्रदान कर सकते हैं।

ड.. व्यावहारिक पहलू: (अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट) एबीसी आईडी का निर्माण

एनईपी-2020 कार्यान्वयन से संबंधित व्यावहारिक पहलुओं को समझाएं, जैसे एबीसी आईडी बनाना।

शिक्षा में लचीले और शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करें कि प्रशिक्षक एबीसी क्रेडिट का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे कर सकते हैं।

च. बहु-प्रवेश और बहु-निकास के लिए पाठ्यक्रम:

एनईपी 2020 में उल्लिखित बहु-प्रवेश और बहु-निकास बिंदुओं के लिए पाठ्यक्रम संरचना का विवरण दें। प्रशिक्षकों को यह समझना चाहिए कि किस प्रकार ऐसे पाठ्यक्रम डिजाइन किए जाएं, जो छात्रों के विविध शिक्षण पथों को समायोजित करें, जिससे उन्हें विभिन्न चरणों में प्रवेश करने और बाहर निकलने की सुविधा मिल सके।

छ. बहुविषयक पाठ्यक्रम:

समग्र शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न विषयों के एकीकरण पर प्रकाश डालते हुए, बहु-विषयक पाठ्यक्रमों की अवधारणा का वर्णन करें।

प्रशिक्षकों को यह सीखना चाहिए कि ऐसे पाठ्यक्रमों को कैसे डिज़ाइन और प्रदान किया जाए जो पारंपरिक विषयों की सीमाओं से काफी परे हों और एक सर्वांगीण शिक्षा को बढ़ावा दें।

ज. एनसीआरएफ और एनएचईक्यूएफ फ्रेमवर्क को समझना:

एनईपी-2020 के अनुसार राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) पर प्रकाश डालें। प्रशिक्षकों को गुणवत्ता आश्वासन के लिए फ्रेमवर्क के स्तर, क्रेडिट प्रणाली और दिशानिर्देशों को समझना चाहिए।

पाठ्यक्रम विकास और मूल्यांकन में एनसीआरएफ और एनएचईक्यूएफ फ्रेमवर्क को कैसे लागू किया जा सकता है, इसके व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करें।

I. मूल्यांकन रणनीतियाँ:

एनईपी-2020 के अनुरूप मूल्यांकन रणनीतियों पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करें। इसमें रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन तकनीकें शामिल हैं जो निरंतर सीखने और कौशल विकास का समर्थन करती हैं।

मूल्यांकन के महत्व पर जोर दें जो न केवल ज्ञान अर्जन को मापे, बल्कि गहनता से सोचने और अवधारणाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग को भी मापे।

ञ. प्रतिक्रिया और मीमांसा:

प्रशिक्षकों के बीच निरंतर सुधार को बढ़ावा देने के लिए टीओटी में प्रतिक्रिया और मीमांसा सत्र शामिल करें।

प्रशिक्षकों को अपनी शिक्षण प्रथाओं को परिलक्षित करने और उन्हें उभरते शैक्षिक परिदृश्य और एनईपी-2020 के सिद्धांतों के अनुरूप ढलने के लिए प्रोत्साहित करें।

इन तत्वों को टीओटी कार्यक्रम में शामिल करके, शिक्षक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रशिक्षक एनईपी-2020 द्वारा अनुशंसित शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षाशास्त्र को लागू करने के लिए अच्छी तरह से सक्षम हों और उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी परिवर्तनों में प्रभावी ढंग से योगदान करें।

8.4 आवश्यकता आधारित नये पाठ्यक्रम/कार्यक्रम

यूजीसी/एमओई समय-समय पर नए विकासों के आधार पर नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम और थीम तय करेगा, जिन्हें परियोजना अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी के अधीन एमएमटीटीसी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

8.5 नए एमएमटीटीसी को जोड़ना

- पूर्ववर्ती पीएमएमएनएमटीटी केंद्रों को स्व-स्थायी आधार पर पहले से अनुमोदित कार्यक्रमों के अनुसार विभिन्न घटकों के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। ये केंद्र एमएमटीटीपी के यूजीसी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे और उनके द्वारा प्रदान किए गए कार्यक्रमों को कैरियर उन्नति योजना के लिए विचार में रखा जाएगा। तथापि, यूजीसी/एमओई इस संबंध में कोई वित्तीय दायित्व वहन नहीं करेगा।
- यूजीसी/एमओई पीएबी के अनुमोदन से गैर-प्रदर्शन/खराब समीक्षा के मामले में किसी भी एमएमटीटीसी को बंद कर सकता है।
- समीक्षा और आवश्यकता के आधार पर, यूजीसी/एमओई परियोजना सलाहकार बोर्ड (पीएबी) के अनुमोदन से नए एमएमटीटीसी जोड़ने का निर्णय लेगा।

9. संकाय सदस्यों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन

मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षकों/संकाय/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए आयोजित किए जा रहे सभी प्रशिक्षण/क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताओं पर और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु उच्च शिक्षा 2018 में मानकों के अनुरक्षण उपायों, समय-समय पर यथा संशोधित, जहां भी आवश्यक हो, पर यूजीसी विनियमों के अनुसार कैरियर उन्नति योजना में निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानदंडों के रूप में ध्यान में रखा जाएगा।

10. योजना की निगरानी

मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी और गुणवत्ता आश्वासन यूजीसी द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा। योजना की प्रगति की निगरानी रिपोर्ट, व्यय विवरण और उपयोग प्रमाण पत्र आदि के आधार पर प्रत्येक केंद्र द्वारा प्राप्त भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि पर आधारित होगी। यूजीसी द्वारा एमएमटीटीपी पोर्टल (https://mmc.ugc.ac.in) विकसित किया गया है, जहां सभी एमएमटीटीसी को नियमित आधार पर अपनी गतिविधियां अपलोड करनी होंगी, और पोर्टल के माध्यम से एक केंद्रीकृत डेटाबेस अनुरक्षित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न एमएमटीटीसी द्वारा प्रशिक्षित संकाय सदस्यों की संख्या के बारे में जानकारी होगी। प्रत्येक एमएटीटीसी यूजीसी को त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और संचालित पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रिपोर्ट समय पर पोर्टल में अपलोड करेगा।

10.1 स्थायी समिति

यूजीसी सभी एमएमटीटीसी में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की निगरानी, नीति पर सलाह और सिफारिश करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन करेगा। स्थायी समिति में शिक्षाविदों के छह सदस्य और यूजीसी का एक अधिकारी होगा जो एमएमटीटीपी का ब्यूरो प्रमुख होगा। स्थायी समिति के गठन में छह सदस्य होंगे:

(i) समिति का अध्यक्ष (आयोग का सदस्य या एचईआई के वीसी/निदेशक स्तर का कोई वरिष्ठ शिक्षाविद हो सकता है)

(ii) तीन वरिष्ठ शिक्षाविद (वीसी/पूर्व वीसी/पूर्व निदेशक एचईआई/प्रोफेसर के स्तर के)।

(iii) एमएमटीटीसी के दो कार्यक्रम निदेशक।

(iv) यूजीसी अधिकारी-ब्यूरो प्रमुख।

10.2 शैक्षणिक सलाहकार समिति:

सभी एमएमटीटीसी के लिए शीर्ष स्तर पर स्थायी समिति के अलावा, प्रत्येक एमएमटीटीसी के पास एक शैक्षणिक सलाहकार समिति (एएसी) होगी जिसमें विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अथवा व्यवसायी या उद्योग के नेता होंगे जो उसके कार्यक्रम और संसाधन व्यक्तियों का चयन करने में सलाह देंगे। एचईआई के कुलपति/प्रमुख, जहां एमएमटीटीसी स्थित है, या कोई प्रख्यात प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस समिति का अध्यक्ष होगा। एएसी के सभी सदस्यों को कार्यक्रम निदेशक, एमएमटीटीसी द्वारा नामित किया जाएगा और एएसी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

एएसी का गठन इस प्रकार होगा:

(i) संस्थान के कुलपति/मेजबान विश्वविद्यालय /संस्थान का प्रमुख या प्रख्यात प्रोफसर ऑफ प्रैक्टिस।

(ii) एक कुलपति/निदेशक एचईआई/पूर्व वीसी/ एचईआई से बाहर का पूर्व निदेशक और राज्य के भीतर का एक निदेशक।

(iii) यूजीसी नामांकित एक व्यक्ति।

(iv) एमएमटीटीसी के दो कार्यक्रम निदेशक जिनमें से एक राज्य के बाहर से होगा।

(v) विश्वविद्यालय/एचईआई के दो प्रतिष्ठित प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष या प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिव या व्यवसायी या उद्योग के नेता।

(vi) संबद्ध महाविद्यालयों/महाविद्यालयों का एक प्राचार्य/पूर्व प्राचार्य।

(vii) एमएमटीटीसी का कार्यक्रम निदेशक, सदस्य सचिव होगा।

कुलपति एवं वित्त अधिकारी विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

शैक्षणिक सलाहकार समिति (एएसी) का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। एएसी की वर्ष में दो बार बैठक होगी। वित्तीय मामलों सहित एमएमटीटीसी से संबंधित सभी मामलों को समिति के समक्ष रखा जाएगा।

11. वित्तीय सहायता

11.1 बुनियादी ढाँचा/नवीनीकरण लागत

अनावर्ती मद के तहत निधियां, यानी स्मार्ट क्लासरूम, उपकरण/सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर/फर्नीचर एवं फिक्सचर आदि के लिए एमएमटीटीसी को उनकी आवश्यकता / उपयोग/निधियों की उपलब्धता के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

11.2 कार्यक्रम लागत (आवासीय)

कार्यक्रम लागत के अंतर्गत निम्नलिखित मदें शामिल हैं:

(i) सभी प्रतिभागियों के लिए अतिथि सेवा (टीए/डीए प्रतिभागियों/संबंधित एचईआई द्वारा वहन किया जाएगा)

(ii) संसाधन व्यक्तियों को टीए/डीए और मानदेय।

(iii) पाठ्यक्रम समन्वयक को मानदेय

(iv) विविध/आकस्मिक व्यय

11.2.1 प्रतिभागियों के लिए अतिथि सेवा:

एमएमटीटीसी को आतिथि सेवा प्रदान करने के लिए प्रति प्रतिभागी प्रति कार्य दिवस 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा (जिसमें बोर्डिंग, चाय और नाश्ता और कामकाजी दोपहर का भोजन शामिल है) और प्रतिभागियों को आतिथ्य व्यय की कोई प्रतिपूर्ति नहीं है।

बाह्य प्रतिभागियों के लिए टीए आकस्मिक शुल्क:

टीए/डीए केवल प्रतिभागियों/प्रायोजक एचईआई द्वारा वहन किया जाएगा।

11.2.2 संसाधन व्यक्ति:

बाह्य संसाधन व्यक्तियों को यूजीसी मानदंडों के अनुसार टीए/डीए का भुगतान किया जाएगा। बाह्य/स्थानीय संसाधन व्यक्ति को 90 मिनट के प्रति सत्र के लिए प्रति व्यक्ति 5000/- रुपये, अधिकतम 10,000/- प्रतिदिन का मानदेय दिया जाएगा, भले ही संसाधन व्यक्तियों द्वारा कितने भी सत्र संचालित किए गए हों। बाह्य संसाधन व्यक्तियों को किसी एक कार्यक्रम में केवल एक बार ही आमंत्रित किया जाना चाहिए। स्थानीय संसाधन व्यक्तियों को नगरपालिका क्षेत्राधिकार के भीतर प्रत्येक यात्रा हेतु परिवहन शुल्क के रूप में अधिकतम 500/- रुपये का भुगतान किया जाना है। अन्य को पात्रता के अनुसार रेल/बस टिकट/टैक्सी किराए की टिकट/रसीद देने के वास्तविक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

संसाधन व्यक्ति एक पीपीटी/राइट-अप अग्रिम रूप से उपलब्ध कराएंगे ताकि चयनित प्रशिक्षु तैयार होकर आएं, और संसाधन व्यक्ति प्रतिभागियों के साथ केस स्टडीज, व्यावहारिक उदाहरणों, असाइनमेंट आदि के साथ एक उच्च वार्ताकारी सत्र आयोजित करेंगे तथा एमएमटीटीसी के साथ 5 एमसीक्यू अग्रिम रूप से साझा करेंगे। तथापि, संसाधन व्यक्ति अन्य माध्यमों से भी प्रशिक्षुओं का नवोन्मेष की दृष्टि से मूल्यांकन कर सकता है।

एक केंद्रीकृत प्रौद्योगिकीय मंच, जो उपयुक्त उपकरणों सहित एक एलएमएस है, विकसित किया जाए जिसका उपयोग औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत, सहकारी और सहयोगात्मक रणनीतियों के साथ-साथ एक अभिनव मंच के लिए किया जा सकता है।

दैनिक भत्ता:

पाठ्यक्रम के लिए आमंत्रित बाह्य संसाधन व्यक्ति को प्रतिदिन 1000/- रुपये की दर से दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा, यदि संसाधन व्यक्ति अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करता है। यदि निःशुल्क आवास (लॉजिंग) उपलब्ध कराया जाता है, तो उक्त डीए के 75% की दर से दैनिक भत्ता दिया जाएगा। यदि केवल भोजन व्यवस्था (बोर्डिंग) मुफ़्त प्रदान की जाती है, तो दैनिक भत्ता सामान्य दर का 50% होगा। यदि भोजन और आवास दोनों निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, तो सामान्य दैनिक भत्ते का 25% देय होगा।

11.2.3 कार्यक्रम निदेशक/पाठ्यक्रम समन्वयक

पाठ्यक्रम समन्वयक को एकमुश्त मानदेय इस प्रकार दिया जाएगा: क) एसटीपी/एफडीपी - रु.3000/- ख) आरसी- रु. 6000/- ग) एफआईपी - रु. 9,000/- (यदि वह एमएमटीटीसी का कर्मचारी नहीं है)। तथापि, विशेष परिस्थितियों में, एक से अधिक पाठ्यक्रम समन्वयक नियुक्त किया जा सकता है। मानदेय राशि उन्हें बराबर-बराबर बांटी जायेगी।

पाठ्यक्रम समन्वयक समान पाठ्यक्रम में कक्षाओं में भाग लेने के लिए कोई मानदेय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

11.3 लेखांकन प्रक्रियाएँ:

एमएमटीटीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए

उसकी मंजूरी दी गई थी और वह एफआर 2017 में जैसा निर्दिष्ट या निर्देशित किया जाए, निर्धारित प्रारूप में व्यय विवरण और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

क) यूजीसी द्वारा जारी अनुदान के संबंध में प्रत्येक विश्वविद्यालय/केंद्र द्वारा अलग-अलग सीएनए खाते कायम रखे जाने चाहिए।

ख) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन के खाते किसी भी समय भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षित महालेखाकार या उनके नामांकित व्यक्ति द्वारा उनके विवेक पर लेखापरीक्षा के लिए खुले रहेंगे।

ग) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन उपयोग प्रमाण पत्र और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित और विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक व्यय विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें अनुमोदित परियोजना पर किए गए व्यय का विवरण होगा और यूजीसी को पिछले वर्षों में सरकारी अनुदान के उपयोग की सूचना देनी होगी। यदि उपयोग प्रमाणपत्र निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुदान प्राप्तकर्ता को भारत सरकार की प्रचलित उधार दर पर ब्याज सहित प्राप्त अनुदान की पूरी राशि, जब तक कि सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट न दी गई हो, तुरंत वापस करने की व्यवस्था करनी होगी।

घ) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन यूजीसी द्वारा एक समिति या सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर यूजीसी द्वारा किसी भी प्रक्रिया में समीक्षा के लिए तैयार रहेगा।

11.4 एमएमटीटीसी के कार्यक्रम निदेशक को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन:

एमएमटीटीसी के कार्यक्रम निदेशक को जीएफआर 2017 और डीएफपीआर 1978 के प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करते करके एक समय पर 75,000/- रुपये तक के व्यय को मंजूरी देने के लिए वित्तीय शक्तियां दी जाएंगी। इसके अलावा, उसके पास संसाधन व्यक्तियों और एफआईपी, आरसी, एसटीपी/एफडीपी आदि के प्रतिभागियों को नियमानुसार टीए/डीए का भुगतान करने की शक्तियां होंगी। आकस्मिक खर्चों की पूर्ति करने के लिए 25,000/- रुपये का अग्रदाय भी एमएमटीटीसी के कार्यक्रम निदेशक को उपलब्ध होगा।

11.5 अनुदान का संवितरण

यूजीसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी या महाविद्यालय के प्राचार्य को पदनाम के आधार पर अनुदान जारी करेगा। आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर आदि जैसे संस्थानों के मामले में, जहां निदेशक संस्थान का प्रमुख है, अनुदान संस्थान के निदेशक को पदनाम द्वारा जारी किया जाएगा।

11.6 संपत्ति और देएताएं

प्रत्येक एमएमटीटीसी उन सुविधाओं, परिसंपत्तियों और देनदारियों की एक सूची तैयार करेगा जो उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में हैं। यदि, किसी भी कारण से, यूजीसी-एमएमटीटीसी को बंद कर दिया जाता है, तो केंद्र में सृजित की गई संपत्ति का उपयोग केवल स्व-स्थायी मोड में संकाय के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा और वह यूजीसी/एमओई की संपत्ति होगी।

11.7 रिकॉर्ड संग्रहण

एनईपी अभिनिव्यास एवं सुग्राहीकरण कार्यक्रम, एफआईपी, आरसी, एसटीपी/एफडीपी आदि को सर्वोत्तम रूप से प्रभावी बनाने के लिए, एमएमटीटीसी सभी प्रतिभागियों, उनकी उपलब्धियों, उनकी व्यावसायिक वृद्धि, क्षमता निर्माण और शिक्षक के रूप में उनकी क्षमताओं में बदलाव का एक व्यवस्थित अभिलेख कायम रखेगा।

प्रत्येक एमएमटीटीसी पाठ्यक्रम-वार संसाधन व्यक्तियों, प्रतिभागियों के अभिलेख और संचालित पाठ्यक्रमों की वर्ष-

वार और विषय-वार सूची का अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा।

12. गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के विषय और विषय

निम्नलिखित विषयों/क्षेत्रों पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे:

कार्यप्रवाह में मनोविज्ञान

संचार कौशल - कार्य प्रतिबद्धता - व्यावसायिक क्षमता - समय और कार्य प्रबंधन - नैतिकता और मूल्य

कार्यप्रवाह में प्रौद्योगिकी

एमएस ऑफिस, मेल मर्ज और मेलिंग, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड पर काम करना,

टेली-कॉन्फ्रेंसिंग - कंप्यूटर अनुप्रयोगों में ज्ञान और दक्षता

उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र

एचईआई: प्रकृति और संरचना- उच्च शिक्षा प्रदान करने में यूजीसी, एआईसीटीई, एनएमसी और अन्य व्यावसायिक निकायों की भूमिका - विहंगावलोकन: एनईपी 2020, प्रत्यायन: नैक, और एनबीए; रैंकिंग फ्रेमवर्क: एनआईआरएफ। छात्रों और उनकी आकांक्षाओं के साथ-साथ अर्थव्यवस्था, उद्योग, समाज की व्यापक व्यवस्था के संबंध में बदलते परिदृश्य को कवर करने की आवश्यकता है।

शिक्षाविद

प्रवेश, उपस्थिति निगरानी, परीक्षा, मूल्यांकन और परिणाम - टिप्पण और प्रारूपण, पाठ्यचर्या विकास, शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन जिसमें रचनात्मकता और योगात्मकता शामिल हैं।

- रजिस्टरों और रोस्टरों का रखरखाव - आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान - एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सेवक/ईडब्ल्यूएस के लिए दिशानिर्देश, आईसीसी जैसी अनिवार्य समितियां, शिकायत निवारण, रैगिंग-रोधी और एससी/एसटी समितियां और उनकी भूमिका - कक्षात्तर गतिविधियाँ जैसे सामाजिक कार्य, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ।

स्थापना

यूजीसी विनियम: सीएएस के तहत भर्ती, पदोन्नति, वेतन नियतन नियम - उद्यम संसाधन योजना - सीसीएस नियम: आचरण, पेंशन, अवकाश - एलटीसी - समर्थ पोर्टल - प्रबंधन: अनुबंध, निर्माण, अतिथि गृह, छात्रावास, रखरखाव आदि।

वित्त

बजटीकरण - लेखा - लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली - केंद्रीय व्यय प्राधिकरण - सार्वजनिक प्रापण/क्रय - जेम, भवन-निर्माण परियोजनाएं - उच्च शैक्षिक वित्तीय एजेंसी - टीए नियम - सामान्य वित्तीय नियम - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। इन्हें सत्र से पहले प्रतिभागियों द्वारा पढ़ा जा सकता है और वास्तविक सत्र में संभावित चुनौतियों सहित कुछ मामलों के अध्ययन या अनुमानित/काल्पनिक स्थितियों के साथ व्यावहारिक अनुप्रयोग पर अध्ययन किया जा सकता है।

परियोजना प्रबंधन

परियोजना प्रस्ताव प्रबंधन - बौद्धिक संपदा अधिकार - छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति प्रबंधन - सतर्कता मैनुअल - आरटीआई अधिनियम। वे विभिन्न असाइनमेंट, गतिविधियों और परियोजनाओं के अलावा संकाय सदस्यों द्वारा किए जाने वाले शोध परियोजनाओं के प्रबंधन को भी कवर कर सकते हैं।

13. दिशानिर्देशों में परिवर्तन/संशोधन

भविष्य में शैक्षणिक प्रकृति में संशोधन सहित किसी भी उभरते क्षेत्र में नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रम के कारण आवश्यक दिशानिर्देशों में कोई भी संशोधन किया जा सकता है, जिसे पीएबी अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और बाद में पीएबी द्वारा उसकी पुष्टि की जा सकती है।

*****